राजस्थान सरकार कार्यालय वित नियंत्रक कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर

मण्डोर रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर-342304 राजस्थान फोन नं. 0291-2570711/ ई-मेल comptrollerfin@gmail.com

क्रमांक:-F.3 ()Acctts/AU/Jodh/2024-25/204

Date - 29-06-24

ई-बोली सूचना संख्या 01/2024-2025

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित उपापन हेतु निर्धारित प्रपत्र में इच्छुक बोलीदाताओं / प्रतिष्ठित अनुभवी एवं अधिकृत कम्पनियों / फर्मों ई—उपापन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नानुसार बोलियां आंमत्रित की जाती है।

क्र सं	उपापन की जाने वाली विषय वस्तु का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (रू.)	बोली दस्तावेज शुल्क (अप्रतिदे य) रूपयों में	बोली प्रकिया शुल्क (अप्रतिदेय) रूपयों में	बोली डाउनलोड प्रारम्भ व प्रस्तुति की दिनांक व समय	बोली प्रस्तुत करने एवं कॉलम सं. 4, 5, 6, में अंकित दस्तावेज शुल्क जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सफाईकर्मियों की सेवाऐं उपलब्ध करवाने हेतु	15.00 लाख	बोली प्रतिभूति 2 % = 30000	590	500	29.06.2024 04.00 PM से	15.07.2024 03.00 PM तक	16.07.2024 11.00 AM

COM वित्त नियंत्रक, R A कृषि विष्वविद्यालयः जोधपुर Jodhpur

विषयवस्तु सारणी

क्र.सं.		विवरण	पृष्ठ संख्या
1	डिस्क्लेमर		3
	(Disclaimer	-)	
2	बोली आमंत्रित	न करने वाला नोटिस	4-5
	Notice invi	ting Bid-(NIB)	
3	अनुभाग 1	बोली लगाने वालों के अनुदेश	6-19
		Instructions to Bidders –(ITB)	
4	अनुभाग 2	अर्हता एवं मूल्यांकन की कसौटी	20-21
		Evaluation and Qualification Criteria	
5	अनुभाग 3	बोली के प्रारूप	22-34
		Bidding Forms	
6	अनुभाग 4	आपूर्ति की अनुसूची	35
		Schedule of Supply (SS)	
7	अनुभाग 5	अ संविदा की सामान्य शर्तें	36-44
		General Conditions of Contract (GCC)	
8	अनुभाग 5	ब संविदा की विशेष शर्तें	45-48
		Special Conditions of Contract (SCC)	
9	अनुभाग 5	स संविदा की अन्य शर्तें	49-51
		Other Conditions of Contract (OCC)	
10	अनुभाग 5	स संविदा के प्रारूप	52
		Contract Forms	







JODHPUR 342304, Rajasthan, India कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर जोधपुर अ42304 राजस्थान, भारत

Tele fax: 0291-2570711(O) / E-mail: comptrollerfin@gmail.com

Disclaimer

Agriculture University Jodhpur (in short AUJ) disclaims any factual or other errors in the bidding document (the onus is purely on the individual bidder to verify such information). This document has not been field, registered or approved in any jurisdiction. Recipients of this document should inform themselves of and observe any applicable legal requirements.

The information contained in this Bid document or subsequently provided to Bidder(s) or prospective Bidders(s), whether verbally or in documentary from by or on behalf of the Comptroller, AUJ or any of their employees or advisors, is provided to Bidder (s) or prospective Bidder (s) on the terms and conditions set out in this Bid document any other terms and conditions subject to which such information is provided. The purpose of this Bid document is to provide interested parties with provided therein are intended only to help the bidders to prepare a logical bid proposal. This bid document does not purport to contain all the information each prospective Bidder may require. This Bid document may not be appropriate for all persons, their employees or advisors to consider the investment objectives, financial situation and particular needs of each party who reads or uses this Bid document. Certain prospective Bidders may have a better knowledge of the proposed work/service than others. Each prospective Bidder should conduct its own investigations and analysis and should check the accuracy, reliability and completeness of the information in this Bid document and obtain independent advice from appropriate sources. AUJ, its employees and advisors make no presentation or warranty and shall incur no liability under any law, statute, rules or regulations as to the accuracy, reliability or completeness of the Bid document. AUJ may in its absolute direction, but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information in this Bid document.

This document constitutes no form of commitment on the part of AUJ. Furthermore, this document confers neither the right nor an expectation on any party to participate in the proposed Bid process.





6.

AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR

JODHPUR 342304, Rajasthan, India कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर जोधपुर 342304 राजस्थान, भारत

Tele fax: 0291-2570711(O) / E-mail: comptrollerfin@gmail.com

ई-बोली आमंत्रण सूचना संख्या 01/202-24 Unique Bid Number (UBN)

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों की सफाई व्यवस्था के लिये सफाईकर्मियों की सेवाऐं उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिष्टित अनुभवी एवं अधिकृत कम्पनियों /फर्मों /एकल स्वामित्व आदि से विश्वविद्यालय की ओर से एकल प्रकम द्वि-भाग (भाग-1 तकनीकी बोली तथा भाग-2 वित्तीय बोली) खुली प्रतियोगी बोली निम्न प्रकार आमंत्रित की जाती है :-

क्र. सं.	उपापन की सेवा का विवरण	राशि रुपयों में				बोलियों की
		अनुमानित बोली मूल्य	बोली दस्तावेजों का मूल्य	प्रक्रिया फीस	बोली प्रतिभूति	विधिमान्यता की कलावधि
1	सफाईकर्मियों की सेवाऐं उपलब्ध करवाने हेतु	15.00 लाख	590	500	30,000	90 दिन

1. यह बोली एक वर्ष की अविध के लिये दर संविदा हेतु है परन्तु कालाविध के दौरान अपेक्षित सेवाओं की किसी न्यूनतम मात्रा की गारन्टी नहीं दी जायेगी।

2. बोलिया ई-उपापन प्रक्रिया से ऑनलाईन ही प्राप्त की जायेगी। बोली में भाग लेने के लिये बोलीदाताओं का ऑनलाईन बोली प्रस्तुत करने के लिये राजस्थान सरकार के ई-उपापन पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीयन होना आवश्यक है।

3. ई-उपापन की प्रक्रिया ई-उपापन पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्टानुसार होगी। बोलीदाता उक्त प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

4. बोली लगाने वाले /प्राधिकृत हस्ताक्षरी उनकी दोनों बोलियों (तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली) को साथ-साथ (Simultaneously) केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करेंगे।

5. सम्पूर्ण बोली दस्तावेज मय बोली लगाने वालों के लिए अनुदेश, संविदा की शतें, अर्हता और मूल्यांकन की कसीटी व प्रक्रियाएं, बोली के प्रारूप, सेवाएं जो उपलब्ध करायी जानी है, प्रकार के विनिर्देश और आपूर्ति अनुसूची बोली दस्तावेजों में परिवर्तन (Corrigendums), युक्तिका (Addendums), आदि राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.raj.nic.in, ई-उपापन पोर्टल https://eproc.rajasthan.gov.in और विश्वविद्यालय की विभागीय वेबसाईट पर देखे एवं डाउनलोड https://www.aujodhpur.ac.in/ किये जा सकते हैं।

- बोली दस्तावेजों का मूल्य प्रक्रिया फीस या उपयोक्ता प्रभार तथा बोली प्रतिभूति के लिये बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट अथवा ICICI BANK शाखा lal sagar IFSC Code ICIC0006830 खाता संख्या 683001700323 में जमा करवाकर जमा रसीद बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिए नियत समय और तारीख से पूर्व कार्यालय में भौतिक रूप से प्रस्तुत करने होंगे। भौतिक रूप से प्रस्तुत किये गये उक्त बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या जमा रसीद की स्कैन की हुई प्रति विश्वविद्यालय के उपरोक्त खाते में Online जमा करवाकर रसीद की प्रति निविदा के साथ E-Proc, पोर्टल पर अपलोड कर सकते है, जिसकी रसीद वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर 342034 को स्पीड पोस्ट अथवा अन्य किसी भी जिरये निर्धारित समय एवं तिथि से पूर्व पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।
- 7. तकनीकी बोलियों को दिनांक 16.07.2024 को 11.00 बजे पर खोला जायेगा। बोली लगाने वाले इलेक्ट्रोनिक बोली खोलने की ऑन लाईन प्रक्रिया के साक्षी हो सकेंगे।
- 8. AUJ न्यूनतम दर वाली बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। AUJ बोली लगाने वालों के प्रति किसी उतरदायित्व को उपगत किये बिना किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 9. बोली लगाने वाले को PAN तथा AUJ द्वारा चाहे गये अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- 10. बोलीदाता /प्राधिकृत हस्ताक्षरी ऑनलाईन डाउनलोड किये गये बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ट पर (पृष्ट संख्या 01 से 52) तथा वांछित दस्तावेजों पर भी अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर करेंगे और प्रत्येक पृष्ट पर पृष्ट संख्या अंकित करेंगे। तत्पश्चातु उसके अनुरूप ही Annexure 7 (बोली दस्तावेज के पृष्ट संख्या 31 पर उपलब्ध) को अपने लेटर पेड पर

पूर्ण व सही रूप से भरेंगे। ऐसे हस्ताक्षरयुक्त व पृष्ठ संख्या अंकित किये हुये-बोली दस्तावेज, वांछित दस्तावेज तथा Annexure 7 बोलीदाता http://eproc.rajasthan.gov.in साईट पर ऑनलाईन अपलोड करेंगे। बोलीदाता द्वारा दस्तावेजों में यथा आवश्यकता सभी पृष्ठ/प्रपत्र भरकर online upload करने आवश्यक है, उसके अभाव में निविदा अमान्य होने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

- 11. बोलियों के मूल्यांकन और संविदा के अधिनिर्णय में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित और बोली दस्तावेजों में यथा-वर्णित कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जाएगा।
- 12. बोली दस्तावेजों, बोली दस्तावेज में वर्णित सेवाओं, अन्य सूचना इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन अनुभाग से भी ली जा सकती है।
- 13. सशर्त बोलियां अस्वीकार किये जाने योग्य होगी।
- 14. AUJ will not responsible for delay for online submission due to any reason, For this bidders are requested to upload the complete bid well advance on time so as to avoid 11th hour issues like slow speed, choking of website due to heavy load or any other unforeseen problems.

15. मुल्य

弱. सं.	विवरण	राशि रुपयों में	भुगतान
1	बोली दस्तावेजों का मूल्य (Non refundable)	590/- (पांच सौ नब्बे मात्र)	Comptroller, Agriculture University, Jodhpur के पक्ष में बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या बैंक में जमा करवाकर या बिन्दू संख्या 06 के अनुसार Online खाते में जमा करवाई जा सकती है।
2	प्रक्रिया फीस या उपयोक्ता प्रभार (Non refundable)	500/- (पांच सौ मात्र)	MD RISL, Jaipur के पक्ष में बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या बैंक में जमा करवाकर या बिन्दू संख्या 06 के अनुसार Online खाते में जमा करवाई जा सकती है।
3	बोली प्रतिभूति (Bid Securtiy)	30000/- (तीस हज़ार मात्र)	Comptroller, Agriculture University, Jodhpur के पक्ष में बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या बैंक में जमा करवाकर या बिन्दू संख्या 06 के अनुसार Online खाते में जमा करवाई जा सकती है।

16. महत्वपूर्ण तिथियां

क्र. सं.	विवरण	नियत तिथि एवं समय
1	बोली प्रकाशन	
2	बोली प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ (Bid Submission Start Date)	
3	बोली प्रस्तुतीकरण अंत (Bid Submission End Date)	
4	बोली दस्तावेजों का मूल्य, प्रक्रिया फीस तथा बोली प्रतिभूति के लिये बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या बैंक जमा रसीद प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम तिथि और समय	
5	तकनीकी बोली खोलना (Technical Bid Opening)	
6	वित्तीय बोली खोलना (Financial Bid Opening)	तकनीकी अर्हित बोलीदाताओं को सूचित किये अनुसार
7	संपर्क -	



Section -1 बोली लगाने वाले के लिए अनुदेश (Instruction to Bidders-ITB)

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012" [hereinafter called the Act] and the "Rajasthan Transparency Public Procurement Rules, 2013" [hereinafter called the Rules] under the said ACT are in force for the procuring Entities of the State. The said ACT and Rules shall be applicable for this procurement and are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.rajasthan.gov.in. The Bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the ACT and the Rules before participating in the Bidding process. If any discrepancy between the provisions of the ACT and the Rules and of this Bidding Document is found at any point of time the provisions of the ACT and the Rules shall prevail over the bidding document.

point of t	ime the provisions of the ACT and the Rules shall prevail over the bidding document.
	1 General सामान्य
1.1 Sco	pe of Bid
1.1.1	विहित बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के समर्थन में अनुभाग 5 आपूर्ति की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के लिये सफाईकर्मी की सेवाऐं दर संविदा पर उपलब्ध करवाने हेतु AUJ यह बोली दस्तावेज जार्र करता है। बोलियां राजस्थान सरकार के ई-उपापन पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर इस प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट ई-उपापन प्रिक्रया से ऑनलाईन आमंत्रित की जायेगी।
1.2	सत्यनिष्टा की संहिता (Code of Integrity)
1.2.1	No person participating in a procurement process shall act in contravention of the code of integrity prescribed by the State Government, as per section 11 of the RTTP ACT and Rule 80 of the RTTP Rules. The Bidder shall have to gave a declaration regarding compliance of the Code if integrity prescribed in the ACT, the Rules and stated above in this Clause along with its Bid, in the format specified in Section IV, Bidding Forms.
1.2.2	हित का विरोध (Conflit of Interest) -उपापन संस्था या उसके कार्मिक और बोलीदाताओं के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हो जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्यों संविदागत बाध्यताओं के पालन या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन का अनुचित रूप से प्रभावित कर सकत हो। बोलीदाताओं को प्रश्नगत उपापन में नियम 81 और बोली दस्तावेजों में यथा-वर्णित हित का विरोध नहीं होन चाहिए।
1.2.3.	बेलीदाता के द्वारा सत्यनिष्टा संहिता का भंग-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय 4 के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोलीदाता या, यथास्थिति भावी बोलीदाताओं के द्वारा सत्यनिष्टा संहित के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) और धार 46 के उपबंधो के अनुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी।
1.3	बोली लगाने वालों की पात्रता (Eligible Bidders)
1.3.1	कोई बोलीदाता नैसर्गिक व्यक्ति, प्राईवेट संस्था, सरकारी स्वामित्व वाली संस्था के रूप में हो सकता है। सहउद्यम् अनुज्ञेय नहीं है।
1.3.2	A Bidder and all parties constituting the Bidder shall have the nationality of India.
1.3.3	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 के अधीन विवर्जित बोली लगाने वाली निम्नलिखित के द्वारा की जाने वाली किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने का पात्र नहीं होगा-(क) किसी भी उपापन संस्था, यदि राज्य सरकार द्वारा विवर्जित (debar) किया गया हो, और (ख) AUJ यदि AUJ द्वारा विवर्जित किया गया हो।
1.3.4	(i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना बोलीदाता द्वारा AUJ को लिखित में दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा। (ii) संविदा के संबंध में फर्म से किसी भी नए भागीदार ∕भागीदारों के बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते AUJ को इस संबंध में लिखित नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए बोलीदाता की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
1.3.5	40. बोलीदाता का राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 या वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त / एसपीएफसी / 2017 दिनांक 14.11.2018 में वर्णित शर्तों के अधीन बोलीदाता उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण की बाध्यता नहीं होने की स्थिति में वचन-पत्र प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है व सफल बोलीदाता को उक्त परिपत्र अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम , 1952, कर्मचारी राज्य				
	संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरिशप एक्ट				
	अन्तर्गत् पंजीयन् संख्या होना आवश्यक है। बोलीदाताओं द्वार	रा तकनीकी बोली के साथ उक्त पंजीयन/अनुज्ञा पत्र सबूत			
	संलग्न किया जायेगा।				
1.3.6	Bidder shall provide such evidence of their continued eligibility satisfactory to the AUJ, should the AUJ request.				
1.3.7	कोई बोलीबाता एक ही बोली प्रस्तुत कर सकेगा। यदि कोई	बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया से एक से अधिव			
	बोलियां प्रस्तुत करता है तो उसकी समस्त बोलियां अस्वीव	कार किये जाने योग्य होगी। इस बोली में कोई बोली दात			
	सभी प्राकर के कार्मिक आपूर्ति की बोलियां एक साथ प्रस्तुत	कर सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत बोली को एक से अधिव			
	बोली नहीं समझा जावेगा।				
1.3.8	बोलिदाताओं का GST कानून के अन्तर्गत विधि के प्रावधान	अनुसार पंजियन जरूरी है।			
1.3.9	बोलीदाता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी PAN होना उ	आवश्यक है। बोलीदाताओं द्वारा बोली के साथ उक्त PAN			
	की प्रति संलग्न की जायेगी।				
1.4	Eligible Services				
1.4.1	All Services to be supplied under the Contact that				
	which has not been declared ineligible by Governr				
	2. बोली दस्तावेज की विषयवस्तु (Con	tents of Bidding Document)			
2.1	बोली दस्तावेज अनुभाग (Sections of the Bidding Do				
2.1.1	The Bidding Document consists of Parts 1, 2 and 3 which include all the Sections indicated				
	below, and should be read in conjunction with any Addenda issued in accordance with IT				
	Clause, 2, 3 [Amendment of Bidding Document].				
	Part 1 : Bidding	g Procedures			
	अनुभाग । बोली लगाने वालों के लिए अनुदेश	Instructions to Bidders (ITB)			
	अनुभाग ॥ अर्हता और मूल्यांकन की कसौटी	Evaluation and Qualification Criteria			
	अनुभाग ॥। बोली के प्रारूप	Bidding Forms			
	Part 2 : Supply F	Requirements			
	अनुभाग 🗤 आपूर्ति की अनुसूची	Schedule of Supply (SS)			
	Part 3 Co				
	अनुभाग V संविदा की शर्तें और संविदा प्रारूप	Conditions of Contract & Contract Forms			
	अ संविदा की सामान्य शर्ते	General Conditions of Contract (GCC)			
	ब संविदा की विशेष शर्ते	Special Conditions of Contract (GCC)			
	स संविदा की अन्य शर्ते	Other Conditions of Contract (GCC)			
	द संविदा के प्रारूप	Contract Forms			
	The Notice Inviting Bids (NIB बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस) issued by AUJ shall also be a part of				
2 1 2	the Bidding Document.	25 1 1 1 1 1 1 1			
2.1.2	भावी बोलीदाता बोली दस्तावेजों को राज्य लोक उपापन				
	ई-उपापन पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in या AUJ की विभागीय वेबसाईट				
	www.education.rajasthan.gov.in/raujodhpur पर डाउनलोड कर सकते है और इनका यथाविहित				
	मूल्य बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या बैंक में जमा द्वारा भुग				
2.1.3	AUJ is not responsible for the completeness of				
	these were not downloaded correctly from the				
2.1.4	The Bidder is expected to examine all instruct				
	Bidding Document failure to furnish all information or authentic documentation required				
200	by the Bidding Document may result in rejection				
2.2	बोली दस्तावेजों का स्पष्टीकरण (Clarification of Bidding				
2.2.1	बोलीदाता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये ज	61			
	जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों आदि के वि				
	बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उसे AUJ को भेजेगा (refer) तध्				
2.3	बोली दस्तावेजों में उपान्तरण (Ammendment of Bidd	ling Document)			

y

2.3.1	Any addendum issued shall be part of the Bidding Document and shall be communicated in writing to all Bidders who have obtained the Bidding Document directly from the
	Procuring Entity. It shall also be uploaded on the SPPP/eproc/AUJ's website for prospective bidders to download.
2.3.2	At the time prior to the deadline for submission of the Bids, the Procuring Entity su moto (स्वप्रेरणा पर) may also amend the Bidding Document, if required, by issuing addenda (युक्तिका)
	which will from part of the Bidding Document.
2.3.3	To give Prospective Bidders responsible time in which to take an addendum in to account in preparing their Bids, the Procuring Entity may, at its discretion, extend the deadline for the submission of the Bids, pursuant to ITB Sub-Clause 4-2 (Deadline for Submission of Bids), under due intimation to the Bidders by uploading it on the website of SPP Portal/eproc/AUJ.
	3. Preparation of Bids (बोलियों को तैयार करना)
3.1	Cost of Bidding
3.1.1	The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Bid including expenses of travel and lodging that may be required including collection information from the AUJ and other communication required with AUJ, and AUJ shall not be responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the bidding process.
3.1.2	 The Bidder shall furnish the self attested copies of following documents with its Bid: i. Partnership Deed and/or valid registration certificate with the Registrar of Firms in case of Partnership Firms. Power of Attorney in favour of the partner singing the Bid, authorizing him to represent all partners of the firm. ii. GSTIN issued by the competent authority and Permanent Account Number (PAN) issued by Income Tax Department. iii. Address of residence and office, telephone numbers e-mail address, if any in case of sole Partnership.
	 iv. Registration Certificate and Memorandum of Association issued by Registrar of Companies in case of a registered company and in case of another statutory or registered body, certificate of incorporation or registration issued by concerned authority. Power of attorney in favour of the person singing the Bid. v. Tax Clearance Certificates.
3.2	Language of Bid
3.2.1	The Bid, as well as correspondence and documents relating to the Bid exchanged by the Bidder and AUJ shall be written in Hindi or English Both. Supporting documents and Printed literature that are part of the Bid may be in another language provided they are accompanied by a self-attested accurate translation of the relevant passages duly accepted by the Bidder in the language specified above, in which case, for purposes of interpretation of the Bid, such translation shall govern.
3.3	Document Comprising the Bid
3.3.1	बोली दो भागों में है, प्रथम भाग तकनीकी गुणवता और कार्य सम्पादन विशेषताओं को रखने वाली तकनीकी बोली (Technical Bid) तथा द्वितीय भाग के वित्तीय पहलुओं को रखने वाली वित्तीय बोली (Financial or Price Bid) तकनीकी तथा वित्तीय दोनों बोलियों को साथ-साथ (Simultaneously) केवल इलेक्ट्रोनिक रूप ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।
3.3.2	The Technical Bid shall contain the following: i. Technical Bid Submission Sheet and Technical Bid containing the filled up Bidding Forms and Declarations related to Technical Bid and Code of Integrity given Section III, Bidding Forms; ii Proof of payment of price of Bidding Document, processing fee, Bid Security, in accordance with ITB Clause 3.13;
- 0x - 5	 iii Written confirmation authorizing the signatory of the Bid to commit the Bidder, in accordance with ITB Clause 3.14; iv Documentary evidence in accordance with ITB Clause 3.8 establishing the Bidder's eligibility to Bid. v. Documentary evidence in accordance with ITB Clause 3.9 establishing the Bidder's qualifications to perform the contract if its Bid is accepted:



qualifications to perform the contract if its Bid is accepted;

	vi. any other document required in the Annexure 6; and
	vii. any other document considered necessary by the bidder to strengthen the Bid submitted.
3.3.3	The Financial Bid shall contain the Financial Bid Submission Sheet, in accordance with ITB Clause 3.4,3.6, and 3.;
3.4	Bid Submission Sheets
3.4.1	The Bidder shall submit the Technical Bid and Financial Bid using the appropriate Bid Submission Sheets provided in Section III, Bidding Forms. These forms must be completed without any alterations to their format, and so substitutes shall be accepted. All blank spaces shall be filled in ink or typed with the information requested.
3.5	वैकल्पिक बोलियां (Alternative Bids) वैकल्पिक बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3.6	Bids Prices बोली मूल्य
3.6.1	बोलीदाता के द्वारा इकाई दरें तथा मूल्य भारतीय रुपये में ही उद्धृत (quoted) की जानी होगी। समस्त भुगतान भारतीय रुपये में ही किया जाएगा। The Prices quoted by the Bidder in the Bid submission sheet and in the Price Schedules shall conform to the requirements specified in following Sub-Clauses:
3.6.2	The price and Services Charges to be quoted in the Bid Submission Sheet shall be total price including all incidental expenses/charges for each category of the requisite manpower services excluding GST, No extra cost on such account shall be admissible; however GST as applicable will be payable extra by AUJ.
3.6.3	All items in the Schedule of Supply must be specified/listed and priced separately in the Financial Schedules. If a Financial Schedule shows items specified/listed but not priced, these may be marked as Not Quoted.
3.6.4	Service Charges shall be quoted in on per labour per day basis however it must be quoted above 0. A Bid submitted with 0 Service Charges shall be treated as non-responsive and shall be rejected, pursuant to ITB Clause 5.7 [Responsiveness of Bids].
3.6.5	Service Charges quoted by the Bidder shall be fixed and wages/remuneration rates shall be subject to variation proportionately to the minimum Rates prescribed by the State Government from time to time during the Bidder's Performance of the Contract. The minimum remuneration for other categories shall remain unchanged during the period of contract. However, on the orders of Government of Rajasthan the rates for specific category may be charged accordingly.
3.7	Currencies of Bid.
3.7.1	बोलीदाता के द्वारा इकाई दरें तथा मूल्य भारतीय रुपये में ही उद्धृत (quoted) की जानी होगी तथा समस्त भुगतान में किया जाएगा।
3.8	बोलीदाता की पात्रता स्थापित करने वाले दस्तावेज Document Establishing the Eligibility if the Bidder
3.8.1	To establish their eligibility in accordance with ITB Clause 1.3 [Eligible Bidders], Bidders shall complete the eligibility declarations in the Bid Submission Sheet and Declaration Form included in Section III [Bidding Forms इनमें से जो अनिवार्य फार्म है, उनके अभाव में निविदा को अस्वीकृत किया जायेगा। वांछित फार्म (if applicable की स्थिति में) आवश्यक हो तो संलग्न कराने अपेक्षित है।
3.9	बोलीदाता की अर्हता स्थापित करने वाले दस्तावेज (Document Establishing the Qualification of the Bidder)
3.9.1	To establish its qualifications to perform the Contract, the Bidder shall submit as part of its Technical Bid the documentary evidence indicated for each qualification criteria specified in Section II [Evaluation and Qualification Criteria].
3.10	बोलियों की विधिमान्यता की कालाविध (Period of Validity of Bids)
3.10.1	बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालाविध के दौरान विधिमान्य रहेगी। लघुतर कालाविध के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (non-responsive) के रूप में AUJ द्वारा अस्वीकार की जायेगी।
3.10.2	बोलियों की विधिमान्यता की कालाविध के अवसान के पूर्व AUJ आपवादिक परिस्थितियों में बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समायविध के लिए बोली की विधिमान्यता की कालाविध का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेंगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृत बोली प्रत्याहरण के रूप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति समपहृत की जायेगी। ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यता की कालाविध का विस्तार से सहमत होते है उनके द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूतियों की विधिमान्यता की विस्तारित कालाविध को आवृत करने के लिए नयी बोली प्रतिभूतियां प्रस्तुत करेंगे। कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जाती है या जिसने नयी बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है, इसे उसकी बोली की विधिमान्यता की कालाविध के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किाय जाना माना जायेगा।
3.11	बोली प्रतिभूति (Bid Security)

3.11.1	The Bidder shall furnish as part of its Bid, a Bid Security in original form and in the amount and currency specified in the ITB Sub Clause 3.7.1.
3.11.2	बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्किलत मूल्य का 2% होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5% होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनिर्माण बोर्ड के समक्ष लिम्बत है, यह बोली के मूल्य का 1% होगी। राज्य सरकार द्वारा रिजस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से, यदि छूट प्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा-विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से, यदि छूट प्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा-विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति
3.11.3	देने की अपेक्षा की जायेगी। बोली प्रतिभूति यथा विनिर्दिष्ट बैंकर चैक, मांगदेय ड्राफ्ट या बैंक में जमा करवाकर बिन्दू संख्या 06 के अनुसार
	Online खाते में जमा करवाई जा सकती है।
3.11.4	बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों, रिजस्ट्रीकृत सोसाईटियों, सहकारी सोसाईटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी। For the Bid Securing Declaration the Bidder shall use the from included in Section III [Bidding Forms].
3.11.5	Bid Security instrument shall necessarily accompany the Bid. Any Bid not accompanied by Bid Security, shall be liable to be rejected. In case any of the bidder fails to submit the bidding document fee, Bid Earnest Money, its bids shall not be accepted.
3.11.6	AUJ के पास अन्य बोलियों से प्रतिक्षित विनिश्चय के संबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।
3.11.7	बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्रारूप और निबंधन AUJ को स्वीकार्य होना चाहिए।
3.11.8	यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व बोली लगाने वाली बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यरता को पुष्ट करने के लिए AUJ से अनुरोध कर सकेगा। AUJ ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से प्रत्यूत्तर देगी।
3.11.9	बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारन्टी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से
	AUJ को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या यथास्थिति पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिए पात्र नहीं रह गया है।
3.11.10	असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चातृ कर दिया जायेगा।
3.11.11	बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्निलिखत मामलों में समपहृत कर दी जायेगी, अर्थात् – i. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है, या ii. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है, या iii. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है या iv. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति[Performance Security] जमा नहीं कराता है या, v. यदि बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्टा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है। vi. If the Bidder does not accept the correction of its Bid Price pursuant to ITB Sub Clause 5.5.
3.11.12	[Correction of Arithmetical Errors]. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है तो लौटायी जा सकती है। उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात् बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी अर्थात् (क) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के के अवसान पर (ख) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर, (ग) उपापन प्रक्रिया के रददीकरण पर या (घ) बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय सीमा से पूर्व बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञान नहीं किया गया है। बोली प्रतिभूति राशि पर AUJ द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

3.12	बोलियों का रूपविधान और हस्ताक्षरित किया जाना (Format and Singing of Bid)
3.12.1	The Bidder shall prepare the Technical Bid and the Financial Bid as described in ITB Clause 3.3. Al pages shall be serially numbered.
3.12.2	बोली दस्तावेजों के समस्त निबन्धनों और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाणस्वरूप बोली लगाने वाले या बोली लगाने वाले की ओर से हस्ताक्षर किये जाने लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा बोली दस्तावेजों के समस्त पृष्ठ मुहर सहित हस्ताक्षरित होंगे। यह प्राधिकार बोली दस्तावेजों में यथा विनिर्दिष्ट लिखित पुष्टिकरण से युक्त होगा और बोली के साथ संलग्न होगा।
3.12.3	बोली में कोई भी संशोधन (amendements) जैसे कि अंतरालेखन (interlineations) उद्घर्षण (erasures) या लिप्लेखन (over writting) केवल तब विधिमान्य (valid) होगा जब वे बोली हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वार हस्ताक्षरित या आध्यक्षरित किये गये है।
	4. बोलियों का खोला जाना तथा बोली प्रस्तुतीकरण (Submission and Opening of Bids)
4.1	बोली प्रस्तुतीकरण (Submission of Bid)
4.1.1	बोलीदाता बोली केवल इलेक्ट्रोनिक्स रूप से प्रस्तुत करेंगे। बोलीदाता राज्य ई उपापन पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर यथा-विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये उनकी बोली तथा संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर प्रस्तुत करेंगे।
4.1.2	बोली लगााने वालें /प्राधिकृत हस्ताक्षरी उनकी दोनो बोलियां (तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली) को साथ-साथ (Simulteaneously) केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेंगे।
4.1.3	बोलीदाता बोली दस्तावेजों का मूल्य प्रक्रिया फीस तथा बोली प्रतिभूति के लिये बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या बैंक में जमा रसीद बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिए नियम समय और तारीख के पूर्व AUJ कार्यालय में भौतिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। उक्त बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट स्कैन की हुई प्रति ऑनलाईन बोली के साथ अपलोड करनी होगी।
4.1.4	All the documents uploaded should be digitally signed with the DSC of authorized signatory. Hard copy shall not be accepted in any circumtances.
4.2	बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम समय-सीमा (Deadline for Submission of Bids)
4.2.1	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस में विनिर्दिष्ट स्थान और समय और तारीख या विस्तारित समय तक बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
4.3	विलम्ब से प्राप्त बोलियां (Late Bids)
4.3.1	AUJ shall not consider any Bid that arrives after the deadline for submission of Bids, in accordance with ITB Clause 4.2.1
4.4	बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन और उपान्तरण (Withdrawal, Submission and Modification of Bids)
4.4.1	If permitted on e-procurement portal, a Bidder may withdraw, substitute, modify after is has been submitted or re-submit its Bid proposal or its Bid (technical and/or Financial cover) prior to the deadline specified by the Procuring Entity for submission of Bids in accordance with ITB Sub-Clause 4.2.1 [Deadline for Submission of Bids] as per the instructions/procedure mentioned at e-procurement portal http://eproc.rajasthan.gov.in under the section "Bidder's Manual Kit".
4.4.2	Bid withdrawn shall not be opened and processes further.
4.4.3	No Bid shall be withdrawn, submitted or modified in the interval between the deadline for submission of the Bid and the expiration of the period of Bid validity specified in ITB Clause 3.10 [Period of Validity of Bids] or any extension thereof.
4.5	बोलियों का खोला जाना (Bid Opening)
4.5.1	राज्य ई उपापन पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर यथा विनिर्दिष्ट बोली खोलने की विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया अनुसरण किया जायेगा। बोली लगाने वाले इलेक्ट्रॉनिक बोली खोलने की ऑनलाईन प्रक्रिया के साक्षी हो सकेंगे। यदि बोली खोलने वाले प्राधिकारी के कार्यालय में बोली को खोलने की अंतिम तारीख कार्य दिवस नहीं है तो बोली अगले कार्य दिवस पर खोली जायेगी।
4.5.2	All the documents comprising of Technical Bid/ Cover shall be opened and downloaded from the e-procurement website (only for the bidders who have submitted the prescribed fee (s) to AUJ. Bids not accompanied with the proof of payment or instrument of the required price of Bidding
	Document, processing fee or user charges and Bid Security, shall remain unopened.
4.5.3	Only Technical Bids, which are opened and downloaded, shall be considered for evaluation. No Bid shall be rejected at the time of opening of Technical Bids except the late Bids.

GI

4.5.4	AUJ shall notify Bidders in writing whose Technical Bids have been rejected on the grounds of being substantially non-responsive and not qualified in accordance with the requirements of the Bidding
	Document and their Financial Bids shall remain unopened.
4.5.5	तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन पूर्ण करने के बाद केवल उन्ही बोलीदाताओं की वित्तीय बोली ई-उपापन पोर्टल
	http://eproc.rajasthan.gov.in पर यथा-वर्णित रीति से खोली जोयगी, जो उनकी तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन
	में अहिंत (substantially responsive Technical Bids and determined as being qualified in evaluation
	of Technical Bids) पाये जायेंगे। बोली लगाने वाले जो तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त कर लेते है, को उनकी
	वित्तीय बोलियों के खोले जाने की तारीख, समय और स्थान के बारे में लिखित के रूप से सूचित किया जायेगा।
	बोलीदाताओं की तकनीकी वाणिज्यिक अर्हता का निर्णय बोली दस्तावेजों के अनुसार बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन
	दस्तावेजों की संवीक्षा (scrutiny) पर आधारित होगा।
	5. बोलियों का मूल्यांकन तथा तुलना (Evaluation and Comparison of Bids)
5.1	गोपनीयता (Confidentially)
5.1.1	Information relating to the examination, evaluation, comparison and post-qualification of Bids, and
3.1.1	recommendation of contract award, shall not be disclosed to Bidders or any other persons not
	officially concerned with such process until information on contract award is communicated to all
	Bidders.
5.1.2	Any attempt by a bidder to influence AUJ in the examination, evaluation, comparison and post
	qualification of the Bid or Contract award decisions may result in the rejection of its Bid, in addition
	to the legal action which may be taken by AUJ under the Act and the Rules.
5.1.3	Notwithstanding ITB Sub-Clause 5.12 [Confidentiality] from the time of opening the Bid to the time
	of contract award, if any Bidder wishes to contract AUJ on any matter related to the Bidding
F 4 4	process, it should do so in writing.
5.1.4	In addition to the restrictions specified in section 49 of the ACT, AUJ, while procuring a subject matter of such nature which requires AUJ to maintain confidentiality, may impose condition for
	protecting confidentiality of such information.
5.2	तकनीकी या वित्तीय बोलियों का स्पष्टीकरण (Clarification of Technical or Financial Bid)
5.2.1	बेलियों की परीक्षा मूल्यांकन तुलना और अर्हता में सहायता के लिए बोली मूल्यांकन समिति स्वविवेक से किसी बोली
31212	लगाने वाले को उसकी बोली के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकेगी। स्पष्टीकरण के लिए समिति का अनुरोध
	और बोली लगाने वालों का प्रत्युत्तर लिखित में होंगे।
5.2.2	किसी बोली लगाने वाले के द्वारा उसकी बोली के संबंध में प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण पर, जो समिति के
5.2.2	किसी अनुरोध के जवाब में प्रस्तुत नहीं किया गया हो, विचार नहीं किया जायेगां
5.2.3	वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन में समिति द्वारा खोजी गयी किन्ही गणितीय त्रुटियों की शुद्धि को पुष्ट करने के सिवाय
	बोली की कीमतों या सार में कोई परिवर्तन चाहा, प्रस्तावित या अनुज्ञान नहीं किया जायेगा।
5.2.4	किसी अनर्हित बोली लगाने वाले को अर्हित बनाने या किसी गैर-प्रत्युतरदायी प्रस्तुतीकरण को प्रत्युतरदायी बनाने वाले
and the same of	परिवर्तनों को सम्मिलित करने हेतु अर्हता सूचना या प्रस्तुतीकरण में कोई सारभूत परिवर्तन चाहा, प्रस्तावित या अनुज्ञान
	नहीं किया जायेगा।
5.3	तकनीकी या वित्तीय बोलियों में विचलन आरक्षण लोप (Deviations, Reservations and Omissions in Technical
	or Financial Bids)
5.3.1	तकनीकी या वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन में निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होगी, जहां (क) विचलन बोली दस्तावेजों में
5.5.1	विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को सीमित दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को हटना है (ख) आरक्षण बोली दस्तावेजों में
	विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को सीमित करने वाली शर्तें लगाना या उनकी पूर्ण स्वीकृति से रोके रखना है और (ग) लोप बोली
	दस्तावेजों में अपेक्षित समस्त सूचना या दस्तावेजों या उसके किसी भाग को प्रस्तुत करने में विफलता है।
5.4	तकनीकी या वित्तीय बोलियों में गैर-सारवान गैर-अनुरूपता (Non material Non conformities in Technical or
3.4	Financial Bids)
5.4.1	यदि तकनीकी या वित्तीय बोली सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी है तो बोली मूल्यांकन समिति, बोली में किन्ही
3.7.1	गैर-अनुरूपताओं का अधित्यजन कर सकती है (कारण अभिलिखित करते हुये) जिसके कारण कोई तात्विक विचलन
E 4 3	आरक्षण या लोप न होता हो। ऐसी बोली सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी समझी जायेगी।
5.4.2	Provided that a Technical or Financial Bid is substantially responsive, AUJ may request that the Bidder to submit the necessary information or documentation, within a reasonable period of time,
	to rectify nonmaterial nonconformities or omissions in the Bid related to Documentation
	requirements. Request for information or documentation on such non conformities shall not be
	1 - squared hedgest for information of documentation of sach from comornides shall not be



5.7 5.7.1	ix Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 and 11 of the Act; x Other requirements, as specified in the Bidding Document are fulfilled. तकनीकी या वित्तीय बोलियों की प्रत्युत्तरदायिता (Responsiveness of Technical or Financial Bids) AUJ's determination of the responsiveness (प्रत्युत्तरदायिता का अवधारण) of a Technical or Financial Bid
	 i Bid is signed, as per the requirements listed in the Bidding Document; ii Bid has been prepared as per instructions provided in the Bidding Document; iii Bid is valid for the period, specified in the Bidding Document; iv Bid is accompanied by Bid Security or Bid Security Declaration; v Bid is Unconditional and the Bidder has agreed to give the required performance Security; vi Bid is submitted in the required Bidder Forms as per Section III [Bidding Forms]; vii Price Schedules in the Financial Bid are in accordance with ITB Clause 3.4 [Bid Submission Sheets] and ITB Clause 3.6 [Bid Prices]; viii Written confirmation of authorization to commit the Bidder;
5.6.2	documentation requested in ITB Sub-Clause 3.3 [Documents Comprising the Bid] have been provided, and to determine the completeness of each document submitted. The AUJ shall confirm, following the opening of the Technical or Financial Bids, that the following documents and information have been provided:
5.6 5.6.1	तकनीकी या वित्तीय बोलियों की प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination of Technical or Financial Bid) The AUJ shall examine the Technical or Financial Bids to confirm that all Documents and technical
5.5.2	If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.
5.5	request may result in the rejection of its Bid. यिंद तकनीकी या वित्तीय बोली सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी है तो, बोली मूल्यांकन समिति बोली लगाने वाले को आवश्यक सूचना या दस्तावेज जैसे कि संपरीक्षित लेखा विवरण, पेन इत्यादि युक्तियुक्त कालाविध के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाले के अनुरोध का पालन करने से असफल होने के पिरणामस्वरूप उसकी बोली को अस्वीकार किया जा सकेगा। बोली मूल्यांकन समिति बोली लगाने वाले से प्राप्त सूचना या दस्तावेजों के आधार पर गैर-सारवान गैर- अनुरूपताओं या लोगों का पिरशोधन कर सकेगी। वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (Correction of Arithmetical Errors in Financial Bid) यदि वित्तीय बोली सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी है, तो बोली मूल्यांकन समिति वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित आधार पर अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दू की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और (ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगिणितीय त्रुटि से संबंधित न हो ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रखते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

5.7.4	If a Technical or Financial Bid is not substantially responsive to the Bidding Document, it shall be rejected by AUJ and may not subsequently responsive by the Bidder by correction of the material deviation, reservation or omission.
5.8	Examination of terms & Conditions of the Technical or Financial Bids
5.8.1	AUJ shall examine the Bids to confirm that all terms and Conditions specified in the GCC and the SCC has been accepted by the Bidder without any material deviation or reservation.
5.8.2	AUJ shall evaluate the technical aspects of the Bid submitted in accordance with ITB Clause 3.3 [Documents comprising the Bid] to confirm that all requirements specified in Section IV. Schedule of supply of the Bidding Document and all amendments or changes requested by AUJ in accordance with ITB Clause 2.3 [Amendment of Bidding Document], have been met without any material deviation or reservation.
5.9	बोली लगाने वालों की तकनीकी अर्हता का मूल्यांकन (Evaluation of Qualification of Bidders in Technical Bids)
5.9.1	The determination of qualification of a Bidder in evaluation of Technical Bids shall be based upon an examination of the documentary evidence of the Bidder's qualifications submitted by the Bidder, pursuant to ITB Clause 3.9 [Documents Establishing the Qualifications of the Bidder], and in accordance with the qualification criteria indicated in Section II, Evaluation and Qualification criteria. Factors not included in Section II, shall not be used in the evaluation of the Bidder's qualification.
5.10	मूल्यांकन में कीमत/क्रय अधिमान (Price and/ or Purchase Preference)
5.10.1	Price and / or Purchase Preference if applicable shall be given accordance with the policy of State Government notified/ prevalent at the time of issue of NIB.
5.11	वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन (Evaluation of Financial Bids)
5.11.1	To evaluate a Financial Bid, AUJ shall only use all the criteria and methodologies defined in this Clause a Financial Bid, AUJ shall only use all Qualification Criteria. No other criteria or methodology shall be permitted.
5.11.2	To evaluate a Financial Bid, AUJ shall consider the following (i) the Bid Price quoted in the Financial Bid; (ii) price adjustment for correction of arithmetical errors in accordance with ITB Clause 5.5 [Correction of Arithmetical Errors]; and (iii) price and/ or purchase preference in accordance with ITB Clause 5-10 [Price and/ or purchase Preference].
5.11.3	The evaluation of the total Price of a Bid shall be the price Quoted in BOQ for manpower specified in Section IV [Schedule of Supply].
5.12	बोलियों की तुलना (Comparison of Bids)
5.12.1	AUJ shall compare all substantially responsive Bids to determine the lowest evaluated Bid, in accordance with ITB Clause 5-11 [Evaluation of Financial Bids]
5.13	Post Qualification of the Bidder
5.13.1	AUJ shall determine to its satisfaction that the Bidder that is selected as the lowest Bidder is qualified to perform the Contract satisfactorily. AUJ shall disqualify a bidder if it finds at any time that, (i) the information submitted, concerning the qualifications of the bidder, wads false or constituted a misrepresentation, or (ii) the information submitted, concerning the qualifications of the bidder, was materially inaccurate or incomplete.
5.14	बातचीत (Negotiations)
5.14.1	एकल म्रोत उपापन या प्रतियोगी बातचीत द्वारा उपापन की पद्वित के सिवाय जहां तक संभव हो बोली पूर्व प्रक्रम के पश्चात् कोई बातचीत नहीं की जायेगी। मांगे जाने वाले समस्त स्पष्टीकरण बोली पूर्व अवस्था में ही मांगे जायेंगे तथापि बातचीत केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से निम्नलिखित परिस्थितियों में की जा सकेगी (क) जब उपापन की विषयवस्तु के लिए बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (रिंग प्राइस) कोट की गयी हो या (ख) जब कोट की गयी दरों में बड़े पैमाने पर अन्तर हो और प्रचलित बाजार दरों से बहुत अधिक प्रतीत हो।
5.14.2	बोली मूल्यांकन सिमिति को बातचीत करने की पूर्ण शिक्तयां होगी। बातचीत के विस्तृत कारण और पिरणाम कार्यवाही में अभिलिखित किये जायेंगे। न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को या तो संदेश वाहक या रिजस्ट्रीकृत पत्र और ई-मेल (यदि उपलब्ध हो) के द्वारा लिखित में सूचना दी जायेगी। बातचीत के लिए बुलाने के लिये न्यूनतम सात दिवस का समय दिया जायेगा। अत्यावश्यकता की दशा में बोली मूल्यांकन सिमित कारण अभिलिखित करने के पश्चात् समय कम कर सकेगी, बशर्तें न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गयी हो और बातचीत करने के लिए उसने सहमित दे दी हो।

5.14.3	बातचीत बोली लगाने वाले के द्वारा किये गये मूल प्रस्ताव को प्रभावहीन नहीं करेगी। बोली मूल्यांकन सिमिति के पास मूल प्रस्ताव पर विचार करने का विकल्प होगा यदि बोली लगाने वाला मूल रूप से कोट की गयी दरों में बढ़ोतरी करने का विनिश्चय करता है या कोई नवीन निबंधन या शर्तें अधिरोपित करता हैं।
5.14.4	न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वालों से दरें असंतोषजनक प्राप्त होने की दशा में बोली मूल्यांकन समिति न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को एक लिखित प्रति प्रस्ताव देने का चयन कर सकेगी और यदि यह उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो समिति बोली को अस्वीकार करने और बोलियां पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकते है या वही प्रति–प्रस्ताव दुसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को पहले और तत्पश्चात् तीसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को कम में देने और संकर्म /प्रदाय आदेश उस बोली लगाने वालों को अधिनिर्णित किया जा सकेगा जो प्रतिप्रस्ताव स्वीकार करता है। यह प्रक्रिया मात्र आपवादिक मामलों में ही उपयोग में लायी जानी चाहिये।
5.14.5	यदि बातचीत के पश्चात् भी दरें अत्यधिक उंची मानी जाये तो नवीन बोली आमंत्रित की जायेगी।
5.15	किसी समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का AUJ का अधिकार (AUJ's Right to Accept Any Bid, and to Reject Any or All Bids)
5.15.1	AUJ बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रदद् करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय समस्त बोलियां को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।
	6. संविदा का अधिनिर्णय (Award of Contract)
6.1	परिमाण में परिवर्तन का AUJ का अधिकार (AUJ's Right to Vary Quantities/ Numbers)
6.1.1	यदि AUJ परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों से अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
6.2	Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमार्पों का विभाजन
6.2.1	As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quality of the subject matter of procurement to be produced is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder whose Bid is accepted. Counter offer to first lowest Bidder (L1), in order to arrive at an acceptable price, shall amount to negotiation. However, any counter offers thereafter to Second lowest Bidder (L2), third lowest Bidder (L3) etc., (at the rates accepted by (L1) in case of splitting of quantities shall not be deemed to be a negotiation.
6.3	सफल बोली स्वीकार किया जाना और संविदा का अधिनिर्णय (Acceptance of the successful Bid and award of Contract)
6.3.1	AUJ बोली मूल्यांकन समिति की सिफारिशों ओर बोली की शर्तों, यदि कोई हो, वित्तीय परिणामों, इत्यादि पर विचार करने के पश्चातु सफल बोली को स्वीकार या अस्वीकार करेगी।
6.3.2	Before award of the contract, AUJ shall ensure that the price of successful; Bid is reasonable and consistent with the required quality/specifications.
6.3.3	कोई बोली तब ही सफल मानी जायेगी जब सक्षम प्राधिकारी ने उस बोली के निबंधनों में उपापन को अनुमोदित कर दिया हो। संविदा अधिनिर्णय किये जाने के पूर्व उपापन संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि सफल बोली की कीमत उचित और अपेक्षित गुणवता के प्रति सुसंगत है।
6.3.4	AUJ संविदा उस बोली लगाने वाले को अधिनिर्णीत करेगी जिसका प्रस्ताव Section II, Evaluation and Qualification Criteria में उपवर्णित मूल्यांक कसौटी के अनुसार निम्नतम या सर्वाधिक लाभप्रद अवधारित किया गया हो और यदि उपापन की विषयवस्तु के लिए बोली दस्तावेजों में बोली लगाने वालों के लिए नियत अर्हता कसौटी के आधार पर बोली लगाने वाले को संविदा संतोषजनक रूप से निष्पादित करने के लिए अर्हित अवधारित किया गया हो।
6.3.5	बोली की विधिमान्यता की कालाविध के अवसान के पूर्व, उपापन संस्था लिखित में सफल बोली लगाने वाले को रिजस्ट्रीकरण डाक या ई-मेल द्वारा लिखित में सूचित करेगी कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गयी है।
6.3.6	यदि स्वीकृति के औपचारिक पत्र Letter of Intent (LOI) के जारी किये जाने में समय लगने की संभावना हो तो तब तक बोली लगाने वाले को आशय पत्र प्रेषित किया जा सकेगा। किसी प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना तब पूर्ण मान
	15

	लिया जायेगा जैसे ही स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली दस्तावेज में दिये गये बोली लगाने वाले के पते पर डाक दिया
	गया हो और /या ई-मेल (यदि उपलब्ध हो) द्वारा प्रेषित कर दिया गया हो। जब तक औपचारिक संविदा का निष्पादन
	नहीं कर दिया जाये तब तक स्वीकृति पत्र या आशयपत्र एक नियत आबद्धकर संविदा होगी।
6.4	करार का निष्पादन (Signing of Contract)
6.4.1	In the written information of acceptance of its Bid sent to the successful Bidder, it shall also be asked to execute an agreement in the format given in the Bidding Document on a non-judicial stamp of requisite value at his cost and deposit the amount of Performance Security, within fifteen days from the date on which the LOA or LOI is dispatched to the Bidder. Until a format contract is executed, LOA or LOI shall constitute a bidding contract.
6.4.2	If the Bidder, whose Bid has been accepted, fails to sign a written contract or fails to furnish the required Performance Security or Performance Security Declaration, as the case may be, within the specified time period, AUJ shall forfeit the Bid Security of the successful, bidder/execute the Bid Securing Declaration and take required action against it as per the provisions of the Act and Rules.
6.4.3	The Bid security of the Bidder whose Bids could not be accepted shall be refunded/ returned soon after the contract with the successful Bidder is signed and his Performance Security is obtained.
6.5	कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security)
6.5.1	कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अर्भ्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों नियमों स्वायत निकायों, रिजस्ट्रीकृत सोसाईटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
6.5.2	कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत या जैसी कि बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट की जाये होगी या RTPP के नवीनतम प्रावधानों और संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम की एक प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, के मामले में यह प्रदाय आदेश की रकम का दो प्रतिशत होगी। The currency of Performance Security shall be Indian Rupees.
6.5.3	कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में प्रस्तुत की जायेगी।
6.5.4	उक्त Sub Clause 6.5.3 के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालाविध को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालाविध के लिए विधिमान्य रहेगी।
6.5.5	Failure of the successful Bidder to submit the above-mentioned Performance Security or sign the Contract shall constitute sufficient grounds for the annulment of the award and forfeiture of the Bid Security. In that event AUJ may either cancel the procurement process or if deemed appropriate, award the Contract at the rates of the lowest Bidder, to the next lowest evaluated Bidder whose Bid is substantially responsive and is determined by AUJ to be qualified to perform the Contract satisfactorily.
6.5.6	Forfeiture of Performance Security: The amount of Performance Security in full or part may be forfeited in the following cases (i) when the Bidder does not execute the agreement in accordance with ITB Clause 6.4 [Signing of Contract] within the specified time period; after issue of letter of acceptance/placement of supply order, or (ii) when Bidder fails to commence the providing of the Services as per supply order within the time specified; or (iii) when Bidder fails to commence or make complete supply of the Services satisfactorily within the time specified; or (iv) When any terms and conditions of the Contract is breached; or (v) Failure by the Bidder to pay the AUJ any established dues under any other contract; or (vi) if the Bidder breaches any provision of the Code of integrity prescribed for Bidders in the Act and Chapter VI of the Rules and this Bidding Document. Notice of reasonable time will be given in case of forfeiture of Performance Security. The decision of AUJ in this regard shall be final.
	7. Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)
7.1	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अधीन अपील
7.1.1	Any Grievance of a Bidder pertaining to the procurement process shall be by way of failing an appeal to the First or Second Appellate Authority, as the case may be, as specified in the BDS, in



1	accordance with the provisions of chapter III of the Act and chapter VII of the Rules and as given in
I	Appendix A to these ITB. References to the Act, these rules and other laws and regulations directly
l	pertinent to the procurement proceedings, provided, however, that the omission or any such
I	reference shall not constitute grounds for appeal or liability on the part of AUJ.

8. Other conditions and rules regarding this tender and contract will be as per the provisions of the General Financial & Accounts Rules and RTPP Rules Act 2012 and RTPP Rules 2013 of the Government of Rajasthan

gr

Appendix A: Grievance handling Procedure during Procurement Process (Appeals)

1. Filling an appeal

(a) If any Bidder of prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the AUJ is in contravention to the provisions of the Act or the Guidelines issued there under he may file an appeal to the first Appellate Authority Registrar, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved. Provided that after the declaration of a Bidder as successful in terms of section 27 of the Act, the appeal may be field only by the Bidder who has participated in procurement proceedings;

Provided further that in case AUJ evaluates the Technical Bid may be field only by a Bidder whose Technical

Bid is found to be acceptable.

- (b) After hearing the parties, the First Appellate Authority shall dispose of the appeal and pass an order within a period of 30 days of the date filing of the appeal.
- (c) If the First Appellate Authority fails to dispose of the appeal within the period 30 days of the date of filing the appeal or if the bidder or prospective bidder or the AUJ is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the AUJ, as the case may be may file a second appeal to the Second Appellate Authority Vice- Chancellor, within fifteen days. The Second Appellate Authority, after hearing the parties shall dispose of the appeal and pass an order within a period of 30 days which shall be final and binding on the parties. If the Second Appellate Authority is unable to dispose of the appeal within the aforesaid period, he shall record reason for the same.

2. Appeal not to lie in certain cases:

No appeal shall lie against any declaration of the following matters namely;

Determination of need of procurement; (a)

- Provisions limiting participation of Bidders in the bidding process; (b)
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) Cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality;

3. अपील प्रारूप:

- धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने की अपील (a)
- प्रत्येक अपील उस आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गयी है यदि कोई हो अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के सदस्य के सबत के साथ होगी।
- प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा (c) या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

4. अपील फाईल करने के लिए फीस :-

- प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय
- फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैंक के रूप से किया जायेगा जो संबंधित (2) अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

5. अपील फाईल करने के लिए फीस :-

- प्रथम अपील अधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाईल किय जाने पर प्रत्यर्थी को अपील शपथ (1) पत्र और दस्तावेजों यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थित द्वितीय अपील प्राधिकारी -(2)

उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा और (अ)

- मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- पक्षकारों की सुनवाई मामले से संबंधित दस्तावेजों सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चातु, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

Form No. 1

प्रारूप सं. 1

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

	की अपील सं
	(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी) के समक्ष
1.	अपीलार्थी की विशिष्टयां
	(i) अपीलार्थी का नाम
	(ii) कार्यालय का पता यदि कोई हो
	(iii) आवासीय पता
2	प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता
2.	प्रत्याया (प्रत्यायया) का नाम आर पता
	(1)
	(ii)
	(iii)
3.	आदेश का संख्याक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम
	जिसने आदेश पारित किया है (प्रतिलिपि संलग्न कर) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी
	विनिश्चय कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है।
4.	यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक
	का पता
5	अपील के साथ संलग्न किय गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या
	अपील का आधार
0.	
	(शपथपत्र द्वारा समर्थित)
7.	प्रार्थना
	स्थान : तरीख :
	अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Section –II Evaluation and Qualification Criteria अर्हता और मूल्यांकन की कसौटी

तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए नियत की गयी कसौटी राजस्थान लोक उपापन से पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा के उपबंधों के अनुसार होगी। बोलिदाताओं की तकनीकी विणिज्यिक अर्हता का निर्णय बोली दस्तावेजों के अनुसार बोलिदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की संवीक्षा (Security) पर आधारित होगा। तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए एक बार नियत की गयी कसौटी बदली या शिथिल नहीं की जायेगी।

The Bidder is expected to examine all instructions forms terms and qualifications in the Bidding Document. Failure to furnish all information or authentic documentation required by the Bidding Document may result in rejection of the Bid.

बोली दस्तावेजों का मूल्य तथा बोली प्रतिभूति के बिना बोलियां अस्वीकार किये जाने योग्य होगी। यदि बोली लगाने वालों को राज्य सरकार से अथवा किसी विधि/नियम/प्रावधन के तहत बोली दस्तावेजों का मूल्य तथा बोली प्रतिभूति के संबंध में कोई छूट प्राप्त हो तो बोली लगाने वालों को ऐसी छूट प्राप्त होने के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

बोली लगाने वालों की पात्रता (Eligible Bidders) का निर्धारण ऑन लाईन प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित दस्तावेजों पर आधारित होगा :-

(अ) विनिर्दिष्ट पंजीयन दस्तावेज जिनकी स्वसत्यापित प्रति वांछित है :-

If a registered Company	Memorandum of Association व इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के तहत् वैध पंजीयन प्रमाण पत्र
If Partnership Firm	पार्टनरशिप डीड एवं इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत् वैध पंजीयन प्रमाण पत्र
If another statutory or registered body	ट्रस्ट/सोसाईटी के तहत् अन्य युक्तियुक्त प्राधिकारी से प्राप्त वैध पंजीयन दस्तावेज
एकल स्वामित्व की दशा में	Proof of Address of residence and office, telephone numbers e-mail address. If any,
Authorisation Signatory person signing the Bid	Power of Attorney/Board Resolution/Letter of Authorization written on the address, if any.
GSTIN	बोलीदाता को जीएसटी पंजीयन दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
PAN	बोलीदाताओं द्वारा बोली के साथ उक्त PAN की प्रति संलग्न की जायेगी।

- (ब) विनिर्दिष्ट पंजीयन दस्तावेज/अनुज्ञा पत्र जिनकी स्वसत्यापित प्रति वांछित है।
- 41. बोलीदाता का राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 या वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.11.2018 में वर्णित शर्तों के अधीन बोलीदाता उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण की बाध्यता नहीं होने की स्थिति में वचन-पत्र प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है व सफल बोलीदाता को उक्त परिपत्र अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरिशप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत विधि अनुरूप पंजीयन होना आवश्यक है। बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली के साथ संबंधित कार्य हेतु विधि के तहत् आवश्यक पंजीयन सबूत संलग्न किया जायेगा। चूंिक Schedule of Supply (Section IV) में वर्णित कार्मिकों की वर्गवार दरें आमंत्रित की जा रही है, जिनमें जो फर्म न्यूनतम दर दाता होगी, उनसे ही वे कार्मिक आपूर्ति हेतु आदेश दिया जावेगा। अतः जिस वर्ग के कार्मिक आपूर्ति की निविदा प्रस्तुत की जा रही है उसकी आपूर्ति हेतु विधिमान्य अनुज्ञा/अनुमित पत्र/लाईसेन्स सक्षम प्राधिकारी को पेश करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
- (स) बोली दस्तावेजों के अनुसार अनुभाग III बोली के प्रारूप Bidding Forms में वर्णित एवं वांछित प्रारूप-अनेक्सचर सं. 2. 3 व 6 लगाना अनिवार्य होगा जिनके बिना निविदा को गैर-प्रत्युत्तरदायी मानकर निरस्त कर दिया जायेगा। तकनीकी-वाणिज्यिक अर्हता का मूल्यांकन निम्नलिखित दस्तावेजों पर आधारित होगा (The bids shall be evaluated on a

pass/fail basis only of following criteria-

1. वार्षिक औषत पण्यावर्त (टर्नओवर) (Defined as the total payment received by the Bidder for contracts completed or under execution for providing manpower) सफाईकर्मी उपलब्ध कराने का वार्षिक औसत टर्नओवर न्यूनतम 20 लाख होना चाहिए। वार्षिक टर्नओवर की गणना के लिये वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 को आधार माना जायेगा अर्थात् इन तीनों वर्षों के टर्नओवर का औसत 20 लाख रुपये या अधिक होने पर ही निविदादाता को पात्र माना जायेगा।

वांछित दस्तावेज उक्त तीनों वर्षों के ऑडिटेड अकाउण्टस् की प्रति अथवा टर्न ओवर के संबंध में सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र अथवा उक्त विगत तीन वर्षों की आयकर विवरणियां (ITR) मय संलग्नक की प्रति।

- 2. अनुभव बोलीदाता को राज्य में सफाईकर्मी उपलब्ध करवाने का न्यूनतम वर्षों तीन का अनुभव होना अनिवार्य है। तीन वर्ष का अनुभव Central/State Government Ministries/Departments including Govt Autonomous Bodies/Boards/Commission/universities and PSUs में सफाईकर्मी उपलब्ध कराने का अनुभव होना अनिवार्य है। वांछित दस्तावेज संबंधित कार्यादेशों की प्रतियां अथवा संबंधित संस्था से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र अथवा संबंधित संस्था से प्राप्त कार्य सम्पादन करने सम्बन्धी संतोषजनक प्रमाण पत्र।
- 3.आर्थिक कसीटी (Economic Criteria)-तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के पश्चात् कीमत मूल्यांकन की कसीटी होगी। कीमत कसीटी के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करके L1, L2, L3 इत्यादि के रूप में L1 निम्नतम प्रस्ताव मानते हुए और तब अन्य प्रस्तावों को आरोही क्रम में चिन्हित किया जायेगा। प्रत्येक श्रेणी के कार्मिक के लिये पृथक पृथक L1, L2, L3 इत्यादि के रूप में निर्धारण किया जायेगा।

प्रत्येक वर्ग के सफाईकर्मी के लिये न्यूनतम दर का निर्धारण बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कुल दर के आधार पर किया जायेगा।

न्यूनतम बोली की दरें एक से अधिक बोलिदाताओं की प्राप्त होने पर कार्यादेश स्थानीय/ राज्य स्थित/एमएसएमई फर्म को प्राथमिकता देते हुए गुणावगुण के आधार पर बोली निर्णित की जायेगी। परन्तु इसके लिये केवल उन्ही दस्तावेजों को स्वीकार किया जायेगा जो बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली के समय ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये है।

दर संविदा के लिये खुली बोली आमंत्रण प्रपत्र में प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन आधार न्यूनतम बोलीदाता न होकर बोलीदाता की बोली एवं उसकी कार्यक्षमता के आधार पर करने एवं वांछित मैनपावर उपलब्ध कराने हेतु एक निर्णय किया जायेगा वह विशिष्ट रूप से तर्क सहित अंकित किया जायेगा।

बोलियों की पात्रता एवं अर्हता का मूल्यांकन केवल बोली दस्तावेज के इसी भाग दो-अर्हता और मूल्यांकन की कसौटी में वर्णित की गई कसौटियों के आधार पर किया जावेगा। अतः बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि इस भाग में व्यंक्षित किये गये दस्तावेज तकनीकी बोली के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें। बोली के बाद प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Section –III Bidding Forms बोली के प्रारूप Contents

क्र. सं.	विवरण	पृष्ट सं.
1	तकनीकी बोली प्रस्तुतिकरण सीट Technical Bid Submission Sheet (अनिवार्य)	23
2		
3	ANNEXURE-2 UNDERTAKING OF TRUTHFULLNESS (अनिवार्य)	26
4	ANNEXURE-3 SELF DECLARATION — NO BLACKLISTING (अनिवार्य)	27
5	ANNEXURE-4 Bidder's Authorization Certificate (अपेक्षित हो तो संलग्न करावें)	28
6	ANNEXURE-5 FINANCIAL BID UNDERTAKING (निविदा फार्म में हस्ताक्षर कर पेश करें)	29
7	ANNEXURE-6 Declaration by the Bidder regarding Qualification Under Section 7 and 11 of the ACT (अनिवार्य)	30
8	ANNEXURE-7 List of Required Document with proof for Qualifying in Technical Bid (वांछित पूर्ति कर प्रस्तुत करें)	31
9	Financial Bid Submission Sheet (निविदा फार्म में हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें)	32
10	Price Schedule (ई-प्रोक पोर्टल पर दरें भरनी है)	33
11	Bid Security Declaration (निविदा फार्म में हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें यदि लागू हो)	34



1. Technical Bid Submission Sheet

(The covering letter is to be submitted by the Bidder as a part of the Bid)

The Comptroller, Agriculture University Jodhpur

Subject: Bid for providing services of services of Cleaning Work.

I/we have undersigned declare that:

- (a) I/We have examined and have no reservations to the Bidding Document, including Addenda No-I/We declare that we fulfill the eligibility and qualification criteria in conformity with the Bidding Document and offer to provide Bid for providing services of cleaning work () in accordance with the specifications, the delivery schedule and other requirements as specified in section IV, Schedule of supply.
- (b) My/ our Bid shall be valid for a period of 90 days from the date fixed for the bid submission deadline in accordance with the Bidding Document, and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiration of that period AUJ may solicit our consent for further extension of the period of validity.
- (c) If my/our Bid is accepted, we commit to obtain a Performance Security in the amount of 5% of the Contract Price for the due performance of the Contract.
- (d) My/our firm, including any subcontractors or suppliers for any part of the Contract, have nationalities of India or other than the eligible countries.
- (e) I/we are not participating, as Bidder in more than one Bid for supply of the subject Services in this bidding process, other than alternative offers, if permitted, in the Bidding Document.
- (f) My/Our firm, its affiliates or subsidiaries, including any subcontractors or suppliers for any part of the Contract have not been debarred by the State Government or the AUJ or a regulatory authority under any applicable law.
- (g) I/we understand that this Bid, together with your written acceptance thereof included in your notification of award, shall constitute a bidding contract between us, until a formal Contract is prepared and executed.
- (h) I/we understand that you are bound to accept the lowest evaluated bid or any other bid that you may receive.
- (i) I/we agree to permit the AUJ or their representatives to inspect our accounts and records and other documents relating to the bid submission and to have them audited by auditors appointed by them.
- (j) I/we declare that we have complied with and shall continue to comply with the provisions of the code of integrity including Conflict of interest as specified for Bidders in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 the Rajasthan Transparency in Procurement Rules, 2013 and this Bidding Document during the procurement process and execution of the Contract till completion of all our obligations under the Contract
- (k) Other comments. If any

Date

3

For and on behalf of Signature (with seal) (Authorized Representative/Signatory) Name of person Designation (Kindly attach the authorization letter)

2. Formats for Qualification Requirements Annexure - 1 Bidder's Profile (or Bidding Form)

Name & Address of the Procuring Authority: Comptroller Agriculture University, Jodhpur - 342304

			NIB	Dated
S. No.		Description		Information
1	Name of Bid	der		
	Full Address	of Registered Office (Address	s of residence	
	and office in case of sole Proprietorship)			
	Telephone No.			
	Fax No.			
	E-mail addre	ess/website		
	Full Address of the Office (for working in Jodhpur, if any)			
	Telephone N	lo.		
	Fax No.			
	E-mail addre			
2	Year of Estab			
3		er –Company/Partnership/ Se	ole Proprietary/	
	Trust/ Society/ Any other Please specify			
4		/Accreditation/Affiliation, if A		
5	The second district the se	ignation of authorized Signat		
6	Name of contract person who will apprise AUJ about the		AUJ about the	
	status of the work			
	Name			
	Designation			
	Contract No			
CA91	E-Mail			
7	Number of years of Experience in providing cleaning and		ng cleaning and	
- 20	sanitation se			
8	Bank Details of Bidder		Details of Bidder	
	Bank Name			
	Account No.			
(IE)	Date of Opening of Account			1
Details				
Details o	of Fee	Bank Draft/ DD No.	Amount in Rupees	Drawn on Bank

Details of Fee	Bank Draft/ DD No. Deposit Receipt & Date	Amount in Rupees	Drawn on Bank
Bid Document Fee			
RISL Bid Processing Fee			
Earnest Money Deposit			

10. Turnover defined as the total payments received by the Bidder for contracts for last three years.

Financial Year	Amount (Rs. Lacs)
2020-21	
2021-22	
2022-23	

11. The major similar contracts handled by the Bidder during the last three years in the following format (if the space provided is insufficient, a separate sheet may be attached)

Name & Address of the	Amount of Contract	Duration of Contract		
Client	(Rs. Lacs)	Total Period	From To	
× ×				

12. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जायेगा :-

क्र. सं.	विवरण	रजि सं.	वर्ष	पंजीरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक	पृष्ठ सं.
अ	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 या वचन पत्र					
ब	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952					
स	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948					
द	वस्तु एवं सेवा कर (GST)					
य	आयकर (पैन नम्बर)					
τ	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत		10			

13. हम आपके कार्यालय द्वारा दिये गये सप्लाई आदेश में वर्णित अनुसार सेवाये प्रदाय किये जाने हेतु बाध्य रहेंगे। वर्णित सेवाओं हेतु हमारे द्वारा जो भी दरें दी जायेगी वह वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर होगी, हमें मान्य है।

14. Additional information, if any, (Attach separate sheet, if required)

I/We agree to abide by all the terms and conditions mentioned in this form issued by the AUJ and also the further conditions of the said notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of acceptance of the terms mentioned therein along with stamp of the firm).

Date:

For and on behalf of

Signatue (with seal)
(Authorized Representative/Signatory)
Name of person
Designation

ANNEXURE -2 UNDERTAKING OF TRUTHFULLNESS

The Comptroller, Agriculture University Jodhpur

Jodhpur	
Subject : Bid for providing services of Clo	eaning work Supervisor and Sweeper/Cleaner/Worker
THE TOMMING COLOR MINING	
Dear Sir/Madam,	
	ng my/our bid for providing services Cleaning work Supervisor and with your NIB No Dated
	tion and statements made in this bid are true and I/we accept that nation/documentation contained in it may lead to my/our
and the state of	s of this Bid document and I/we am/are not deviating from your ling upon me/us. I/We understand that AUJ is not bound to accept
	Yours Sincerely
	Authorized Signature in full and initials
	Name and Title of Signatory
	Name of Bidder
	Address
	Telephone (office)
	Fax :
	Email

ANNEXURE -3 SELF DECLARATION-NO BLACKLISTING

The Comptroller, Agriculture University Jodhpur

Subject: Bid for providing sevices of Cleaning work Supervisor and Sweeper/Cleaner/Worker

Dear Sir/Madam,

We further declare that presently our Company/firm is not blacklisted and not declared ineligible for reasons other than corrupt & fraudulent practices by any State/Central Government/PSU/Autonomous Body or the AUJ on the date of Bid Submission.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/our security may be forfeited in full and the Bid if any to the extent accepted may be cancelled.

Thanking you,

Date & Place

Yours Sincerely

Authorized Signature in full and initials
Name and Title of Signatory
Name of Bidder
Address
Telephone (office)
Fax :
Email

ANNEXURE -4 (If applicable) Bidder's Authorization Certificate (On bidder's letter head)

The Comptroller, Agriculture University Jodhpur

Signature Verified

Seal of the organization

नोट :- यदि निविदादाता कम्पनी/फर्म/ट्रस्ट/संस्था आदि है तो इस प्रपत्र को भरना ऐसे निविदादाता के लिए आवश्यक है। अतः वे अपने लेटर हैड पर अधिकृत व्यक्ति बाबत यह अधिकार पत्र पृथक से जरूर पेश करें अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती है।

Signed

ANNEXURE -5 FINANCIAL BID UNDERTAKING

The Comptroller, Agriculture University Jodhpur

Subject: Bid for providing services of Cleaning work Supervisor and Sweeper/Cleaner/Worker.

Dear Sir/Madam,

I/we that undersigned abide, having read & examined in details, the Bidding Document the receipt of which is hereby duly acknowledged. I/we, the undersigned offer to supply as mentioned in the Schedule of Supply & in conformity with the said bidding document for the same.

I/we undertake that the prices are in conformity with the specifications prescribed. The quote/price are inclusive of all cost likely to be incurred for executing this work. The prices are quoted as required in the price Schedule of Supply.

I/we hereby declare that in case the contract is awarded to us we shall submit the contract performance guarantee as prescribed in the bidding document.

I/we agree to abide by this bid for a period of after the last date fixed for bid submission and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiry of that period Until a format contract is prepared and executed, this bid, together with your written acceptance thereof and your award shall constitute a binding Contract between us.

I/we hereby declare that our bid is made in good faith, without collusion or fraud and the information contained in the bid is true and correct to the best of our knowledge and belief.

I/we understand that you are not bound to accept the lowest or any bid you may receive

I/we agree to all the terms & conditions as mentioned in the bidding document and submit that we have not submitted any deviation in this regard.

Date Place

W

ANNEXURE -6

Declaration by the Bidder regarding Qualification

Under Section 7 and 11 of the ACT

Declaration by the Bidder

- We are eligible and possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by AUJ;
- We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
- 3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
- 4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
- We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
- 6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document till completion of all our obligations under the Contract.

Date:

Signature of the Bidder Name:

Designation:

Address:

ANNEXURE -7 List of Required Document with proof for Qualifying in Technical Bid

S. No.	Description	Document Required (Must write Page No. in Column 4 where document attached)	Page No					
1	2	. 3	4					
1	Legal Entity							
	If a registered Company Memorandum of Association							
		Registration Certificate	100					
	If Partnership Firms	Partnership Deed	*					
	If another statutory or	Certificate of incorporation or registration issued by						
	registered body	concerned authority						
	Authorization Signatory	Power of Authority/Board Resolution/Letter of						
	person signing the Bid	Authorization written on the Letter Head by the Bidder						
2	Turn Over	Audited Accounts of last 3 years	Ti.					
		A specific certificate about Turnover of the firm in l st						
		three financial years from providing manpower services						
		Copy of ITRs for the last three years						
3	Tax Registration	Valid GSTIN						
		PAN						
	Tax or Payment Certificate	Tax clearance/payment Certificate upto date 31-03-23						
	•	from the appropriate authority concerned or Declaration						
		to this effect that no tax is due against the Bidder						
4	Experience	Executed supply orders						
	110.	Experience certificates						
5	Declaration and Forms							
	Technical Bid Submission Sheet	(FORMAT OF THE COVERING LETTER)						
	Annexure – 1	Bidder's Profile (Bidding Form)	V					
	Annexure – 2	UNDERTAKING OF TRUTHFULLNESS						
	Annexure – 3	SELF DECLARATION NO BLACLISTING						
	Annexure – 4	Bidder's Authorization Certificate						
	Annexure – 5	FINANCIAL BID UNDERTAKING						
	Annexure – 6	Declaration by the Bidder Regarding Qualification Under						
		Section 7 and 11 of the ACT						
6	Fee Details							
	Bidding Document Fee	Scanned of DD/Banker's Cheque/Receipt of Bank Deposit						
	RISL Processing Fee	Scanned of DD/Banker's Cheque/Receipt of Bank Deposit						
	EMD	Scanned of DD/Banker's Cheque/Receipt of Bank Deposit						
	यदि बोलीदाता को बोली दस्तावेजों के मूल्य एवं/या बोली प्रतिभूति राशि के संबंध में कोई छूट प्राप्त है तो							
	उक्त छूट प्राप्त होने से संबंधित वै							
7	अनुज्ञा पत्र/पंजीयन	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970						
		या वचन पत्र						
		कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952						
,		कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948						
		राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरिशप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीयन।						
8	Other if any	R. 21 31 IN 320 3.1 1						
0	Other it arry							

y

3.	Financial Bio	Submission	Sheet
	NIB No		

The Comptroller, Agriculture University Jodhpur

Subject: Bid for providing services of Cleaning work Supervisor and Sweeper/Cleaner/Worker.

Dear Sir/Madam,

I/we the	undersigned,	declare that:
----------	--------------	---------------

- 1. I/we have examined and have no reservations to the Bidding Document, including Addenda No.
- I/we offer to supply in conformity with the Bidding Document and in accordance with the specifications, the delivery schedule and other requirements as specified in Section IV, Schedule of supply the following Services. Providing services of Cleaning work Supervisor and Sweeper/Cleaner/Worker.
- The Total Price for my/our Bid excluding GST is quoted in the prescribed format of BOQ on E-proc portal.
- I/we understand that this Bid, together with your written acceptance thereof included in your notification of award, shall constitute a binding contract between us until a format Contract is prepared and executed.
- I/we understand that you are not bound to accept the lowest bid or any other bid that you may receive.
- 6. Other comments, if any:

Date

4. Price Schedule for Services to be offered

(Online submission on e-Procurement Portal)

Bid Inviting Authority

: Comptroller, Agriculture University, Jodhpur

Name of work

:Bid for supply of unskilled and skilled labours for cleaning and sanitation of ADM

campus of Agriculture University, Jodhpur

NIB No. 01/2024-25

Name of Bidder/Bidding Form/Bidding Company

Price Schedule

The rates shall be filled up separately in given format on e-procurement portal with financial bid:

S. No.	Particulars	Item	Per Labour Per Day Approved Rate as per Rajasthan Labor Department	Per Day Per Labour Rate Quoted by Bidders	EPF Amoun t (13%)	E.S.I. Amount (3.25%)	Service Charge Per labour per day	Total Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सफाई कार्य हेतु सफाईकर्मी	Unskilled	259		13.00%	3.25%		
2	सफाई कार्य हेतु Supervisor	Skilled	283		13.00%	3.25%		

- उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1-4, 6 व 7 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जावेगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 05 एवं 08 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेगी।
- 2. उक्त सारणी के क्र. सं. 04, 06 तथा 07 श्रम विभाग राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार दरें निर्धारित है।
- 3. EPF, ESI, TDS, GST अथवा और कोई कर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों अनुसार लागू होंगे।
- 4. Service charges shall be quoted in per labour per day however it must be quoted above 0. A Bid submitted with 0 service charges shall be treated as non-responsive and shall be rejected, pursuant to ITB Clause 5.7 [Responsiveness of Bid].
- 5. कार्यादेश जारी होने से 03 दिवस में वांछित सफाईकर्मी उपलब्ध कराने होंगे अन्यथा जी. एफ. एण्ड ए.आर. अनुसार पेनल्टी वसूली जायेगी तथा खुलें बाजार से संविदा कर्मी लिये जाने पर निर्धारित दर से अधिक भुगतान की राशि संवेदक से वसूल की जायेगी।
- 6. सफाईकर्मी की विश्वविद्यालय के विभिन्न साधनों के आधार पर समय पर उपस्थिति एवं टहराव सुनिश्चित कराना होगा। अन्यथा आनुपातिक रूप से राशि की कटौति की जायेगी।
- 7. विश्वविद्यालय में आवश्यकतानुसार अन्य सफाईकर्मी जिनकी दरें श्रम विभाग द्वारा निर्धारित है उपलब्ध करवाने होंगे। Good & Service Tax (G.S.T.) as applicable shall be paid extra by University.

विशेष :-संवेदक निविदा में अपनी दरें यहां नहीं भरें, केवल विहित प्रपत्र BOQ में Online ही भरें।
(Unit Price must be quoted only in the prescribed format of BOQ on E-proc. Portal only)
This is only for reference

5. Form of Bid Securing Declaration

Bid Notification No. Dated

The Comptroller, Agriculture University Jodhpur

Subject: Bid for providing services of Cleaning work Supervisor and Sweeper/Cleaner/Worker.

Dear Sir/Madam,

I/we the undersigned, declare that:

I/we understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. I/we accept that we will automatically be suspended from being eligible for bidding in any contract with you, AUJ for the period of time of *one year*, starting on......, if we are in breach of our obligation(s) under the bid conditions; more specifically, if I/we:

- a. withdraw or modify our bid after deadline for submission of bids, during the period of bid validity specified in the Bid Data Sheet (hereinafter "the BDS"); or
- b. having been notified during the period of bid validity specified in the BDS, about the acceptance of four bid by you,
 - (i) fail or refuse to execute the Contract Agreement within the time period specified in the BDS,
 - (ii) fail or refuse to furnish the performance security, in accordance with the Instructions to Bidders (hereinafter "the ITB") within the time period specified in the BDS
- c. not accept the correction of arithmetical errors specified the ITB; or
- d. breach a provision of the Code of Integrity specified in the RTPP Act 2012, RTPP Rules 2013 and the ITB

I/we understand this Bid Securing Declaration shall expire if we are not the successful Bidder, upon the earlier of (i) our receipt of your notification to us of the name of the successful Bidder, or (ii) thirty days after the expiration of our Bid.

Date Place

W

NameAddress

In the capacity of Signed Seal of the organization

Section IV: Schedule of Supply

The Bidder shall provide cleaning work – Supervisor and Sweeper/Cleaner/Worker at various buildings of Agriculture University Jodhpur, by deploying the following personnel having Eligibility Conditions & Qualifications as given below:

 For all kind of manpower as listed below Age Limit shall be Minimum 18 years and Maximum 65 years as on 01-07-2024

2. Those who have been rendering jobs in similar positions for at least one year in any University (instead of Experience Required as indicated in column no. 5 of the table below.

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	अनुमानित संख्या	न्यूनतम अर्हतायें		
			शैक्षणिक	कार्य का अनुभव	
1	Cleanings work Supervisor	01	10 th pass	Working Experience at least 01 to 02 years in University & other Govt. Department	
2	Sweeper/Cleaner/Worker	13	8 th pass	Working Experience at least 01 to 02 years in University & other Govt. Department	



Section V A : General Conditions of Contract

संविद्धा की सामान्य शर्तें

	1. Inroduction परिचय
1.1	Definations परिभाषाऐं
347/2020	
1.1.1	The Following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them : a. "अधिनियम" से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 अभिप्रेत है।
	 "Completion" means the fulfillment of the Services by the Supplier in accordance with the terms and conditions set forth in the Contract.
	c. "Contract" means the agreement entered into between AUJ and the Supplier
	together with the Contract Document referred to therein, including all attachments, appendices, specifications and condition all documents incorporated by reference therein.
	 d. "Contract Documents" means the documents listed in the Agreement including any amendments thereto.
	e. "Contract price" means the price payable to the supplier as specified in the Agreement, subject to such additions and adjustments there to or deductions there from, as may be made pursuant to the Contract.
	f. "Day" means calendar Day. g. "GCC" से संविदा की सामान्य शर्ते अभिप्रेत है।
	h. "SCC" सं सविदा की विशेष शते अभिप्रेत है। i. "Procuring Entity" means the Entity procuring the Services, as Specified in the
	SCC.
	j. "Rules" means the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013
	k. "Supplier" means the natural person private or government Entity, or a combination of
	the above, who's Bid to perform the contrast has been accepted by AUJ and is named as such in the Agreement, and includes the legal successors pr permitted assigns of the
	Supplier.
1.2.1	Interpretation इस संविदा में, जब तकिक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :
1.2.1	a. Words indicating one gender include all genders;
	b. Words indicating the singular also include the plural and words indicating the plural also include the singular;
	c. Provisions including the word "agree" or "agreement" require the agreement to be recorded in writing;
	d. "written" or "in writing" means hand written, type written, printed or electronically made, and resulting in a permanent record;
	e. The word "Bid" is synonymous with bid and "Bidder" with bidder" and the words "Bid document" with "bidding document";
	f. The marginal words and other headings shall not be taken into consideration in the %interpretation of these Conditions.
	2. General
2.1	General Terms
2.1.1	Entire Agreement – The Contract constitutes the entire agreement between the AUJ and the Supplier and includes the GCC, SCC, bidding forms, Schedules appendices, all attachments listed in
2 1 2	the agreement. Amondment - No amondment or other variation of the Contract shall be valid unless it is in
2.1.2	Amendment – No amendment or other variation of the Contract shall be valid unless it is in writing, is dated, expressly refers to the Contract, and is signed by a duly authorized representative of each party thereto.
2.1.3	Non-waiver:
	Subject to GCC Sub-Clause

zu

	 a. Below no relaxation, for balance, delay, or indulgence by either party in enforcing any of the terms and conditions of the Contract or the granting of time by either party to the other shall prejudice, affect, or restrict the rights of that party under the Contract, neither shall any waiver by either party of any breach of Contract operate as Waiver of any subsequent or continuing breach of contract. b. Any Waiver of a party's rights, powers or remedies under the Contract must be in writing, dated, and signed by an authorized representative of all party granting such waiver and must specify the right and the extent to which it is being waived.
2.1.4	Severability: If any provision or condition of the Contract is prohibited or rendered invalid or unenforceable such prohibition, invalidity or unenforceability shall not affect the validity or enforceability of any other provisions and conditions of the contract.
2.2	Contract Documents
2.2.1	Subject to the order of precedence set forth in the Agreement all Documents forming the Contract (and all parts thereof) are intended to be correlative, complementary, supplementary, and mutually explanatory.
2.3	Code of Integrity (सत्यनिष्ठा की संहिता)
2.3.1	It is required that the supplier observes the highest standards of ethics during the procurement process and performance of the Contract with strict compliance to the provisions of Code of Integrity specified in the Act and the Rules. In particular, the supplier along with its Sub-Suppliers and all their personnel-
-	(1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा। (2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रतिशत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमाराह करने का प्रयास करता हो (3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरिभसिध बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
	(4) AUJ और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा। (5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप
	से क्षति या नुकसान पहुचानें ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा। (6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेपण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
	(7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
	(8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी भी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।
	Further, none of them shall indulge in corrupt, fraudulent, coercive and collusive practices. For the purpose of this clause these practice are defined as below: (i) "corrupt practice" means the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or indirectly, any thing of value to influence improperly the actions of another party; (ii) "fraudulent practice" means any act or omission, including a misrepresentation, that knowledge or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain a financial or other
	benefit Or to avoid an obligation. (iii) "Coercive practice" means impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party of the property of the party to influence improperly the actions of a party; (iv) "Collusive practice" means an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including influencing improperly the actions of another part.
2.3.2	AUJ shall take legal action against the Supplier under Section 11(3), 46 and chapter IV of the Act, if it breaches any provisions of the Code of Integrity, or is determined to have engaged in corrupt, fraudulent, coercive or collusive practices in competing for or in execution of the Contract
2.3.3	fraudulent, coercive or collusive practices in competing for or in execution of the Contract. The Supplier shall permit ALLI to inspect the Supplier's Accounts and records relating to
2.3.3	The Supplier shall permit AUJ to inspect the Supplier's Accounts and records relating to the performance of the Supplier and to have them audited appointed by auditors by the AUJ, if so required by AUJ.

2.4.1	The Contract as well as all correspondence and documents relating to the Contract exchanged by
2.4.1	the Supplier and AUJ, shall be written in the language specified in the SCC. Supporting documents and printed literature that are part of the Contract may be in another language provided they are accompanied by a self-attested accurate translation of the relevant passages in the language
	specified in the SCC, in which case for purposes of interpretation of the Contract, this translation shall govern.
2.4.2	The Supplier shall bear all costs of translation of the governing language and all risks of the
2.5	accuracy of such translation. Notices
2.5.1	THE CONTROLLED OF
2.5.1	Any Notice given by one party to the other pursuant to the Contract shall be in writing to the address specified in the SCC. The term "in writing" means communicated in written form or electronic from with proof of receipt.
2.5.2	A Notice shall be effective when delivered or on the Notice's effective date, whichever is later.
2.6	Governing Law
2.6.1	The Contract shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Central and the State Governments.
2.7	Specifications and Standards
2.7	 i. The Supplier shall ensure that the Services comply with the technical specifications and other provisions of the Contract. ii. The Services supplied under this Contract shall conform to the standards mentioned in
272	Section IV, Schedule of Supply and shall bear such marks.
2.7.2	Wherever references are made in the Contract to Codes and standards in accordance with which it shall be executed the edition or the revised version of such codes and standards shall be those specified in the Section VI Schedule of Supply During Contract execution any changes in any such codes and standards shall be applied only after approval by AUJ and shall be treated in accordance with GCC Clause 3.4.
2.8	Confidential Information
2.9.1	In addition to the requirements of the provisions of Section 49 of the Act and Rules 77 of the Rules
	regarding Confidentially, AUJ and the supplier shall keep confidential and shall not, without the written consent of the other party hereto, divulge to any third party any documents, data, or other information furnished directly or indirectly by the other party hereto in connection with the Contract, whether such information has been furnished prior to during or following completion or termination of the Contract. Notwithstanding the above, the Supplier may furnish to its Subcontract or such documents, data, and other information it receives from AUJ to the extent required for the Subcontract or to perform its work under the Contract, in which event the Supplier shall obtain from such Subcontract or an undertaking of confidentiality similar to that imposed on the Supplier under this Clause. However, in case of electronic data or information, AUJ may not hold such responsibility for access to data on line by any third party.
2.9.2	AUJ shall not use such documents, data and other information received from the Supplier for any purposes unrelated to the Contract Similarly, the Supplier shall not use such documents, data, and other information received from AUJ for any purpose other than the design, procurement, or other work and services required for the performance of the Contract.
2.9.3	The obligation of a party under GCC sub-Clause 2.9.1 and 2.9.2 above, however shall not apply to information that: a. AUJ or Supplier need to share with other institutions participating in the financing of the Contract. b. now or hereafter enters the public domain through no fault of that party;
	 c. can be proven to have been possessed by that party at the time of disclosure and which was not previously obtained, directly or indirectly, from the other party; or d. Otherwise lawfully becomes available to that party from a third party that has no obligation of confidentiality.
2.9.4	The above provisions of GCC Clause 2.9 shall not in any way modify any undertaking of confidentiality given by either of the parties hereto prior to the date of the Contract in respect of the Supply or any part thereof.

2.9.5	The provisions of GCC Clause 2.9 shall survive completion or termination, for whatever reason, of the Contract.
2.10	Chage in Laws and Regulations
2.10.1	If the SCC provides for permitting effect of charge in Laws and Regulations, Then after the deadline for submission of Bids, if any law having the force of law is enacted, promulgated, abrogated, or changed by Government of India or the State Government (which shall be demand to include any change in interpretation or application by the competent authorities) that subsequently affects the Delivery Date and/or the Contract Price, then such Delivery Date and/or Contract Price shall be correspondingly increased or decreased to the extent that the Supplier has thereby been affected in the performance of any of its obligations under the Contract Notwithstanding the foregoing, such additional or reduced cost shall not be separately paid or credited if the same has already been accounted for in the price adjustment provisions where applicable, in accordance with GCC Clause 4.1.
2.11	Force Majeure
2.11.1	The Supplier shall not be liable for forfeiture of its Performance Security, penalties, or termination for default if and to the extent that delays in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of Force Majeure.
2.11.2	For purposes of this Clause, "Force Majeure" means an event or situation beyond the control of the Supplier that is not foreseeable, is unavoidable, and its origin is not due to negligence or lack of care on the part of the Supplier. Such events may include, but not be limited to, acts of AUJ in its sovereign capacity, wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions, and freight embargoes.
2.11.3	If a Force Majeure situation arises, the Supplier shall promptly notify AUJ in writing of such condition and the cause and effects thereof. Unless otherwise directed by AUJ in writing, the Supplier shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means at his cost for performance not prevented by the Force Majeure event.
2.12	Assignment
2.12.1	Neither AUJ nor the Supplier shall assign, in whole or in part, their obligations under this Contract, except with prior written consent of the other party with recorded reasons. Such assignment shall not relieve the Supplier or AUJ of their respective obligations under the Contract.
	3 Contract Details
3.1	Joint Venture, Consortium or Association and changes in the constitution of the Supplier
3.1.1	If the Supplier is a Joint Venture, Consortium, or Association all the parties shall sigh the Contract except in case of the Joint Venture, Consortium or Association is a registered Firm or Company. All the parties shall be jointly and severally liable to AUJ for the fulfillment of the provisions of the Contract an shall designate one Party to act as a lead partner with authority to bind and represent the Joint Venture, Consortium, or Association.
3.1.2	The structure/compositions or the constitution of the Supplier as a firm. Joint Venture, Consortium, or Association shall not be altered without the prior consent of AUJ (a) Any change in the structure/constitution of the firm, etc., shall be notified forthwith by the bidder in writing top the procuring Entity and such change shall not relive any former member of the firm etc. from any liability under the Contract. (b) The status of lead partner/representative of the Joint Venture, Consortium or Association as a major stake holder shall not change without the consent of AUJ. Any new major stake holder must agree to abide by all terms and conditions of the Contract.
	(c) No new partner/partners shall be accepted in the firm by the Bidder in respect of the Contract unless he/they agree to abide by all its all terms conditions and deposit with AUJ a written agreement to this effect. The Bidder's receipt for acknowledgement or that of any partners subsequently accepted as above shall bind all of them and will be sufficient discharge for any of the purpose of the contract.
3.2	Sub-Contracting
3.2.1	The Supplier shall not sublet or assign the Contract or its any part to anyone without the prior written approval of AUJ. The Supplier shall notify AUJ in writing of all subcontracts to be awarded under the Contract. Subcontracting shall in no event relieve the Supplier from any of its
	30

	obligations, duties, responsibilities, or liability under the Contract. The capability details of such subcontractors shall be provided to AUJ who shall evaluate and take a decision as to whether to
	approve it or not.
3.2.2	Subcontracts shall comply with the provisions of GCC Clause 2-3 [Code of Integrity] and Clause 2.9 [Confidential Information].
3.3	Scope of Supply
3.3.1	The Services to be supplied shall be as specified in Section IV, Schedule of Supply.
3.3.2	Unless otherwise stipulated in the Contract, the Scope of Supply shall include, at the supplier's cost, all such services/items not specifically mentioned in the Contract but that can be reasonably inferred from the Contract as being required for attaining Delivery and Completion of the Services as if such items were expressly mentioned in the Contract.
3.4	Change Orders and Contract Amendments
3.4.1	AUJ may at any time order the Supplier through Notice in accordance GCC Clause 2.5, to make Changes within the general scope of the Contract in any one or more of the following: (i) Specifications, where services to be supplied under the Contract. (ii) The Services to be provided by the Supplier.
3.4.2	If any such change causes an increase or decrease in the cost of, or the time required for, the Supplier's performance of any provisions under the Contract, an equitable adjustment and the Contract shall accordingly be amended. Any claims by the Supplier for adjustment under this Clause must be asserted within twenty-eight (28) days from the date of the Supplier's receipt of AUJ's change order.
3.4.3	Price to be charged by the Supplier for any Services that might be needed but which were not included in the Contract shall be agreed upon in advance by the parties and shall not exceed the prevailing rates charges to other parties by the Supplier for similar services.
3.5	Delivery
3.5.1	Subject to GCC Sub-Clause 3-4, the Delivery of the Services shall be in accordance with the Schedule specified in the Section IV, Schedule of Supply.
3.6	Supplier's Responsibilities
3.6.1	(i) The Supplier shall supply all the services included in the Schedule of Supply in accordance with GCC Clause 3.3 and the Schedule, as per GCC Clause 3.5 (ii) The Supplier has to Pursue the Bill After Payment to Contract Employees and Deposit of E.P.F. & E.S.I.
3.7	AUJ's Responsibilities
3.7.1	Whenever the Services requires that the Supplier obtain permits, approvals, and other licenses from Local public authorities. AUJ shall, if so, requested by the Supplier, will make its best effort to support the Supplier in complying with such requirements in a timely and expeditions manner.
3.8	Extensions of Time
3.8.1	If at any time during performance of the Contract, the Supplier should encounter conditions impending timely providing Services pursuant to GCC Clause 3.5, the Supplier shall promptly notify AUJ in writing of the delay, its likely duration, and its cause. As soon as possible after receipt of the
	Supplier's notice. AUJ shall evaluate the situation and may at its discretion extend the Supplier's time for performance with or without penalties depending on the nature of causes of delay, by issuing an amendment of the Contract.
3.8.2	Except in case of Force Majeure, as provided under GCC Clause 2.11, or reasons beyond the control of the Supplier under GCC Clause 3.8.1 a delay by the Supplier in the performance of its supply obligations shall render the Supplier liable to the imposition of penalties pursuant to GCC Clause 4.5.
4	Contract Price and Payments
4.1	Contract Price
4.1.1	The Contract price shall be as specified in the Agreement subject to any additions and adjustments
4.1.2	there to, or deductions there form, as may be made pursuant to the Contract. Prices charged by the Supplier for the Services performed under the Contract shall not vary from the prices quoted by the Supplier in its Bid, with the exception of any price adjustments, if
112	authorized in the SCC.
4.1.3	Price Adjustment shall not be applicable.

4.1.4 दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होगी। कीमत गिरने सम्बन्धी खण्ड दर संविदा के निबंधनों और शर्तों में सम्मिलित किया जायेगा। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपलब्ध करता है कि यदि दर संविदा धारक दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य से किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मी या सेवाऐं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत कर करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दरें संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करक अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर सविंदा धारक फर्म दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए ससूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और सव्यवहार नहीं किया जायेगा। Except as otherwise provided in the Rule all other provisons of Chapater V, mutatis, mutandis, apply. 4.2 **Terms of Payment** 4.2.1 The terms of Payement of the Contract Price shall be as specified in the SCC. 4.2.2 The Supplier's request for Payment shall be made to AUJ in writing, accompanied by invoices describing, as appropriate, the Services performed, and by the documents submitted pursuant to GCC Clause 3.5 and upon fulfillment of all the obligations stipulated in the Contract, all required certificates will be submitted along with bill . 4.2.3 Payments shall be made promptly by AUJ, as far as possible, within 30 (Thirty) days after submission of an invoice or request for payment by the supplier, and AUJ has accepted it. All remittance charges shall be borne by the Supplier. 4.2.4 The currency in which payments shall be made to the Supplier under this Contract shall be Indian Rupees. 4.2.5 In case of disputed services, 10 to 25% of the amount of the price of such services may be withheld and will be paid on settlement of the dispute. 4.2.6 Advance Payment will not be made. 4.3 **Taxes and Duties** 4.3.1 For services supplied, the Supplied shall be entirely responsible for all taxes, duties, license, fees, etc., incurred until delivery of the contracted services at site to AUJ. All taxes shall be borne by the contractor. GST, if applicable, shall be paid extra by the University. The Contractor shall submit the proof of payment of GST into the Govt. account along with the next monthly bill. 4.3.2 If any tax exemptions, reductions, allowances or privileges may be available to the Supplier in India, AUJ shall use its best efforts to enable the Suppliers to benefit from any such tax savings to the maximum allowable extent. The Contractor will regularly pay all the taxes collected from University into the Govt. accounts. A 4.3.3 certificates will be submitted every month along with next monthly bill failing which no GST amounts will be paid to the Contractor. 4.4 **Performance Security** कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अर्भ्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्ट्रिकृत 4.4.1 सोसाईटीयों, सहकारी सोसाईटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादित प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। The Supplier shall, within fifteen (15) days or a period specified in SCC, of the notification of Award, sign the Contract Agreement and provide performance security or where applicable a Performance Security Declaration or the due performance of the contract for the amount specified 4.4.2 The Performance Security shall be denominated in the currency of the Contract and shall be in the form if the Bank Draft or Banker's Cheque OF A Scheduled Bank in India. 4.4.3 The proceeds of the Performance security shall be forfeited and shall be payable as compensation to AUJ on happening of any of the events mentioned below: (I)When the Supplier does not sign the Agreement in accordance with ITB Clause 6.4[Signing of Contract within the specified time; after issue of letter of acceptance/placement of supply within the specified period or;

	(II)When the Supplier fails to commerce the supply of the services as per supply order within the time specified
	(III)When Supplier fails to make complete supply of the services satisfactorily within the time specified; or
	(IV) When any terms and conditions of the Contract is breached; or (V) Failure by the Bidder to pay AUJ any established dues under any other contract; or (VI) If the Supplier breaches any provision of the code of Integrity prescribed for Bidders in the Act and Chapter VI of the Rules and as specified in GCC Clause 2.3.
-	Notice of reasonable time will be given in case of forfeiture of Performance Security. The decision
	of AUJ in this regard shall be final.
4.4.4	The Performance Security shall be discharged by AUJ and returned to the Supplier not later than sixty (60) days following the date of satisfactory completion of the Supplier's performance obligations under the Contract including any warranty, and/or maintenance obligations, unless specified otherwise in the SCC.
4.5	Penalties
4.5.1	Subject to provisions of GCC Clause 2.11 and 3.8, if the supplier fails to deliver any or all of the services within the period specified in the contract, the AUJ shall, without Prejudice to all its other remedies under the Contract, deduct From the Contract Price, as penalties on the following basis which the Supplier has failed to supply or complete. In case of breach of any condition of the Contract and for all types of losses caused including excess
	cost due to procuring of services from the market in the event of contractor failing to provide requisitioned number of manpower, the office shall make deductions at the double rate on prorate basis from the bills proffered by the contractor or that may become due to the contractor under this or any other contract or from the security deposit or may be demanded from him to paid within seven days to the credit of AUJ.
	The powers of the competent authority of AUJ under this condition shall in no way affect or prejudice the powers in certain events to terminate the contract vested in him as herein provided or forfeiture of security deposit. कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय अनुसार बिल में से बिल की 10 प्रतिशत
	से 50 प्रतिशत तक जुर्माना राशि कटौति की जा सकेगी फर्म के कार्य से विश्वविद्यालय प्रशासन के संतुष्ट ने होने की स्थित में बकाया बिलों की राशि तथा जमा अमानत राशि जब्त करते हुये फर्म का कार्यादेश निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कार्य पुनः आवंटन करने पर अधिक भुगतान की राशि भी संवदेक से ही वसूल योग्य होगी। किसी कार्य स्थल पर किसी कार्मिक के द्वारा लगातार तीन दिवसों तक अनुपस्थित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी अन्यथा एजेन्सी के बिल में से अनुपस्थित अविध के लिए दण्डस्वरूप रुपये 200/- प्रति मानव दिवस की कटौति की जावेगी।
	The maximum amount of penalty shall be 50% of performance security. Once the maximum is reached, the Procuring Entity may terminate the Contract pursuant to GCC Clause 4.4 and forfeit the performance security.
4.5.2	Recoveries of penalties shall ordinarily be made from bills. Amount may also be withheld to the extent of such penalties and in case of failure in satisfactory services. Their amount along with amount of penalties shall be recovered from his dyes and performance security available with the
	AUJ. In case the balance of recovery is not possible recourse will be taken to Section 53 of the Act or any other law in force.
	5.Termination and Duties
5.1	Termination for Default
5.1.1	AUJ, without prejudice to any other remedy under the provisions of the Act, the rules or the Contract for breach of Contract, by notice of default sent to the Suppliers, may terminate the Contract in whole or in part: a. If the supplier fails to deliver any or all of the services within the period specified in the Contract,
	or within any extension thereof granted by AUJ pursuant to GCC Clause 3.8 [Extension of Time]; or
	b. If the Supplier fails to perform any other obligation under the contract.c. If the Supplier, in the judgement of AUJ has breached any provision of the Code of Integrity, as defined in the Act, the rules and GCC Clause 2.3 [Code of Integrity] in competing for or in executing
	the Contract.

5.1.2	In the event AUJ terminates the Contract in whole or in part, pursuant to GCC Clause 5.1.1(a), AUJ may procure, upon such terms and in such manner as it deems appropriate the services similar to those undelivered or not performed, and the Supplier shall be liable for AUJ for any additional costs for such similar such additional cost shall be recovered from the dues of the Suppliers with AUJ.
5.2	Termination for Insolvency
5.2.1	The AUJ may at any time terminate the Contract by giving Notice To the Supplier if the Supplier becomes bankrupt or otherwise insolvent. In such event, termination will be without compensation to the supplier, provide that such termination will not prejudice or affect any right of action or remedy that has accrued or will accrue there after to the AUJ.
5.3	Termination for Convenience
5.3.1	AUJ, by notice sent to the Supplier, may terminate the Contract, in whole or in part, at any time for its convenience. The Notice of termination shall specify that termination is for the AUJ's convenience, the extent to which performance of the Supplier under the Contract is terminated, and the date upon which such termination becomes effective.
5.4	Dispute Resolution
5.4.1	Dispute Resolution Mechanism shall be as started in Appendix A.



Appendix A: Dispute Resolution Mechanism

Any dispute arising from the Contract shall be resolved amicably, as far as possible. The levels of the Dispute Resolution mechanism shall be as follows:

- I. Amicable resolution between representatives of Parties to the Contract.
- II. If a question, difference or objection arises in connection with or out of the contract of any part thereof or the rights, duties or liabilities of either party have not been settled by amicable resolution through mutual discussions, it shall be referred to the appropriate Empowered Dispute Resolution Committee for decision, if the amount of the claim is more than Rs.50000/-.

Depute Resolution Mechanism will have the following Committees at the levels of Head of the Department and Administrative Secretary of the Department:

 Head of the Department Level Committee to address disputes in contracts if value upon Rupees One Crore:

The Committee shall Constitute:

- I. V. C.
- II. Comptroller Finance
- III. Registrar as Member Secretary
- Administrative Secretary Level Committee to address disputes in contracts of value of more than Rupees One Crore.
- The Administrative Department Level Committee shall comprise of Administrative Secretary of the Department, Representative of Finance Department not below the rank of Deputy Secretary, Law Secretary or his nominee, not below the rank of Joint Legal Remembrancer, Registrar, Member Secretary.
- II. Arbitration will be applicable in case of disputes arising in contracts of value of more than Rupees. 10 Crore which remain unresolved through the Dispute Resolution Committee.
- IV All legal proceedings, if necessary, arise to institute by the parties shall have to be lodged in courts situated Jodhpur in Rajasthan and not elsewhere.
- V Procedure of reference to the Dispute Resolution Committee.

The Supplier shall present his representation to the AUJ along with a fee equal to two percent of the amount of dispute, not exceeding Rupees One Lakh, within three months of occurrence of the Dispute. The procuring Entity shall prepare a reply of representation and shall represent its Stand before the concerned Dispute Resolution Committee. From the side of the Supplier, the claim case may be presented by himself or through a representative. After hearing both the parties, the Dispute Resolution Committee shall pronounce its decision which shall be final and binding both on the Supplier and the AUJ.

Section V B: Special Conditions of Contract

संविदा की विशेष शर्तें

The following Special Conditions of Contract (SCC) shall supplement the General Conditions of Contract (GCC). Wherever there is a conflict the provisions herein shall prevail over those in the GCC.

- 1. अनुबन्ध स्वीकृति पत्र (LOA) जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिये होगा जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुबन्ध में वर्णित शर्तों के तहत समाप्त नहीं कर दिया गया हो, तथापि उक्त अनुबन्ध संवेदक तथा विश्वविद्यालय दोनों पक्षों की पारम्परिक सहमति से नियमानुसार अविध के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
- 2. विश्वविद्यालय को पन्द्रह दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध निर्धारित अविध से पूर्व भी समाप्त करने का अधिकार होगा।
- 3. संविदा पर उपलब्ध कराये गये कार्मिकों का कार्यालय समय विश्वविद्यालय द्वारा नियत कार्यालय समय होगा। उक्त कार्मिकों के लिये अवकाश विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक स्टाफ पर लागू होने वाले कलेण्डर के अनुसार देय होगा।
- 4. यदि संविदा कार्मिकों को विश्वविद्यालय द्वारा अवकाश में भी कार्य के लिये बुलाया जाता है तो संवेदक द्वारा वांछित कार्मिक उक्त अवकाशों के दौरान भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5. संविदा कार्मिक को समय का पालन सुनिश्चित करना होगा। देरी से आना या जल्दी कार्यालय छोड़ना अथवा माह में बार-बार अवकाश /अनुपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
- 6. संवेदक द्वारा एक व्यक्ति संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा जो समस्त कार्मिकों की उपस्थिति, कार्य व्यवस्था एवं अन्य समस्त कार्यो के लिए संवेदक एवं विश्वविद्यालय के मध्य जिम्मेदारी से समन्वय रखें।
- 7. The Agency shall provide a substitute in the event of any person remaining absent for more than two consecutive days for any reason. Delay by the Agency in providing a substitute after expiry of two days absence shall attract fine @Rs.200/- (Rs. Two Hundred Only) per day starting from the day from which the person has been absent, besides deduction in pavement on pro-rata basis and shall be deducted from the monthly bills of the Agency in the subsequent month.
- 8. The Agency shall replace within twenty-four hours any of its personnel, if they are unacceptable to the University because of security risk, incompetence, conflict of interest and breach of confidentiality or frequent absence from duty/misconduct on the part of the manpower supplied by the agency, upon receiving written notice from Authority. Notwithstanding above, the University has the right to ask to change/replace the personnel at any point of time without assigning any reason.
- 9. The persons deployed by the Agency should not have any Police antecedents of the persons whom they are recommending. Any person deployed by the Agency should not indulge in act record/criminal cases against them. The Agency should make adequate enquiries about the character and of misconduct or otherwise or later if any. Service will be ceased with immediately effect, if any employee deployed by the Agency found in such activities.
- 10. एजेन्सी द्वारा नियुक्त कार्मिकों को विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के निर्देशन में कार्य करना होगा।
- 11. एजेन्सी द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये गए व्यक्तियों का पूर्ण ब्यौरा, यथा-नाम, पता, पिता/पित का नाम, बैंक का विवरण, पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रित वांछित अर्हताएं कार्य अनुभव आदि स्वयं के स्तर पर संधारण किया जावेगा। कार्यादेश दिये जाने के बाद सात दिवस के अन्दर उक्त दस्तावेजों की प्रित एजेन्सी द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध करानी होगी। एजेन्सी द्वारा विश्वविद्यालय को कोई व्यक्ति बदलकर उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के भी उक्त वर्णित दस्तावेजों की प्रित एजेन्सी द्वारा विश्वविद्यालय को सात दिवस के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी।
- 12. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैकल्पिक प्रावधानों एवं अन्य विधिक प्रावधान, जो लागू हों, की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- 13. यदि उपापन संस्था को अंशकालिक (part time) मानव संसाधन की सेवाओं की 04 घण्टे से कम अवधि के लिए आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाऐं 04 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जावेगी, उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशी पर की जावेगी।
- 14. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जावेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था की आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के क्विरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

- 15. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- 16. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत् आने वाले संविदा कार्मिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अविध के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा। संवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह संविदा कार्मिकों की मजदूरी राशि एवं देय अन्य राशियां (चाहे एरियर के रूप में पुरानी अविध का हो या चालू माह का) संविदा कार्मिक को बैंक खाते के माध्यम से उसे प्राप्त हो जावें। किसी भी कार्मिक की राशि उसे न दिये जाने की स्थिति में संवेदक के विरूद्ध राशि हड़पने की संज्ञा से माना जाकर संवेदक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
- 17. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि के कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- 18. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगें, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रिमकों को Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
- 19. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
- 20. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- 21. श्रम विधि के अन्तर्गत नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 22. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए संवेदक उत्तरदायी होगा।
- 23. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस, वेतन छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- 24. कार्य संपादन के अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 25. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी एवं संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थित में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
- 26. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।
- 27. The Agency shall be responsible for any damages done to the property of the University by the personnel so employed. University will be free to recover it from the security deposit given by the Agency or from any other dues.
- 28. The Agency's personnel working in the University should be polite, cordial, positive and efficient while handling the assigned work and their actions should promote good will and enhance the image if the University. The Agency shall be responsible for any act of indiscipline on the part of persons deployed by him.

- 29. The Agency shall ensure proper conduct of his persons in the office premises, and enforce prohibition of consumption of alcoholic drinks, paan, smoking, loitering without work etc. If the Agency and/or its employees are found to be directly or indirectly involved in any unwanted activities, its services would be discontinued/terminated. The Agency is responsible for the character of the all workers provided by him.
- 30. For all intents and purposes, the Agency shall be the "Employer" within the meaning of different Labour Legislations in respect of man power so employed and deployed in this University. The persons deployed by the Agency in the University shall not have any claims like employer and employee relationship against university.
- 31. The Personnel deployed by the Agency shall not claim nor shall be entitled to pay, perks and other facilities admissible to regular/confirmed employees of the University during the currency or after expiry of the contract.
- 32. In case, the Agency fails to comply with any statutory / taxation liability under appropriate law, and as a result thereof the University is put to any loss/obligation, monetary or otherwise, the University will be entitled to get itself reimbursed out of the outstanding bills or the Performance Security Deposit of the Agency, to the extent of the loss or obligation in monetary terms.
- 33. In case of termination of this contract on its expiry or otherwise, the staff deployed by the Agency shall not be entitled to and will have no claim for any absorption in the regular/otherwise capacity in University.
- 34. The Agency should also ascertain that as per contract the employees would not form any group/union etc. and would also not participate in such activity nor represent the same. If such incidence comes under the notice of the AUJ, it would terminate the contract.
- 35. विवाद की दशा कार्यवाही में क्षेत्र जोधपुर होगा।
- 36. The Agency shall raise the bill, in triplicate, along with attendance sheet duly verified by in respect of the persons deployed and submit the same to university by 5th of the succeeding month and make the payment to its staff through RTGS/NEFT/ECS/Bank Transfer only, latest by 10th the succeeding month.
- 37. यदि किसी कर्मचारी को पीएफ देय नहीं है तो उस कर्मचारी के लिये संवेदक द्वारा पी. एफ. की मांग नहीं की जावेगी और विश्वविद्यालय द्वारा भी पी. एफ. का भुगतान नहीं किया जावेगा। दैनिक पारिश्रमिक पर अथवा एक माह से कम अविध के लिए लिये गये कर्मचारियों के लिये कोई पीएफ देय नहीं होगा।
- 38. जिन कर्मचारियों के पी. एफ. खाते पहले से खुले हुए है उनकी राशि उन्ही खातों में जमा कराई जावेगी।
- 39. In case the person deployed is absent on a particular day or comes late/leaves early on three occasions, proportionate deduction for one day will be made.
- 40. The Tax Deduction at Source (T.D.S.) shall be done as per the provisions of Income Tax Act/Rules, as amended from time to time and a certificate to this effect shall be provided to agency by University. टी.डी.एस. की राशि की कटौति संवेदक के बिल में से की जावेगी। संवेदक की सर्विस चार्ज राशि टी. डी. एस. कटौति राशि के कम होने के बावजूद भी इस कटौति के फलस्वरूप किसी संविदा कार्मिक को सभी राशियां बैंक खातों/अन्य खातों में समय पर जमा कराई जावेगी अन्यथा संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 41. यदि किसी कार्य दिवस को कोई कर्मचारी अनुपस्थित रहता है तो उसकी नियमित मासिक दर में 26 का भाग देने पर की गई गणना अनुसार राशि कटौति योग्य होगी। यदि कोई कर्मचारी किसी माह विशेष 10 कार्य दिवस से अधिक अनुपस्थित रहा है तो उसे अवकाशों का भुगतान नहीं होगा। उसे केवल उपस्थित दिनों का दैनिक आधार पर ही भगतान देय होगा।
- 42. कार्यालय एवं अन्य कार्य करवाने के लिये श्रिमकों को लाने एवं ले जाने के लिये कोई भी वाहन विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा। श्रिमकों को लाने व ले जाने की व्यवस्था स्वयं निविदादाता द्वारा की जायेगी।
- 43. निविदादाता द्वारा श्रिमकों का भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से करना होगा। भले ही विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता को भुगतान देरी से किया जाए।
- 44. अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा। श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता हैं, तो उसके लिये संबंधित निविदादाता ही व्यक्गित रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा विश्वविद्यालय किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय के विरूद्ध की गयी सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।
- 45. श्रिमकों द्वारा हड़ताल या उत्पात मचाने पर क्षितपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी तरह की हड़ताल/उपद्रव/उत्पात/अनुशासनहीनता पाये जाने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
- 46. The minimum wages to the manpower shall be ensured by the contractor and a certificate for the same has to be submitted by the contractor every month in the enclosed format.

47

47.	विश्वविद्यालय	द्वारा	कार्य	हेतू	आवश्यक	मानव	संसाधन	की	संख्या	कार्य	की	आवश्यकतानुसार	घटाई/बढाई	जा	सकती
	है।			,											

Certificate

It is certified that I/we (name of Contractor/firm/individual)	lual) has/have
paid wages complying the provisions of the Minim	um Wages act, 1948 for the month of
	certify that I/we have also complied with
the provisions of all relevant act and Rules.	
Dated:	Simple of Authority 1 Simple
y	Signature of Authorized Signatory
29	(Name) Name of the Contractor/Firm/
	Individual (with seal)
	individual (with seal)

निविदा की अन्य शर्तें निम्नानुसार है :-

कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर प्रशासनिक खण्ड, कुलपित महोदय निवास, अतिथिगृह, हेतु की सफाई हेतु शर्ते निम्नलिखित है :-

- 1. विश्वविद्यालय के निम्नानुसार अंकित भवनों /स्थलों परं प्रतिदिन तीन बार /आवश्यकता अनुसार झाडू निकालना एवं फर्श पर फिनाईल का पोचा लगाना।
- 2. परिसर की सड़कें, 03 फाउनटेन पॉण्ड, संविधान पार्क मय 01 पॉण्ड, पार्किंग स्थलों की सप्ताह में दो बार/ आवश्यकता अनुसार झाड़ निकालना, तल की सफाई, एवं फर्श पर फिनाईल का पोचा लगाना।
- 2. निम्न भवनों के समस्त शौचालयों एवं वाशवेसिनों की प्रतिदिन तीन बार/आवश्यकता अनुसार सफाई एवं फिनाईल का छिड़काव करना तथा पानी की निकासी अवरोध होने पर उसकी सफाई कर पानी की निकासी करना।
- 3. निम्न भवनों में प्रतिदिन नियमित रूप से दरवाजों, खिड़िकयों, शीशों, जालियों, रोशनदानों की सफाई करना, जालों को हटाना, भवनों की लोबियों की सफाई करना, दीवारों की पांच फूट तक तथा भवन से पांच मीटर क्षेत्र की सफाई करना।
- 4. सफाई का कार्य प्रत्येक श्रमिक द्वारा 8 घण्टे प्रतिदिन किया जायेगा। कार्य का Layout प्रत्येक अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा दी जावेगी तथा जो भी सफाई का अन्य कार्य बतलाया जायेगा उसे करना होगा। सफाईकर्मी निम्नानुसार भवनों में उपलब्ध करवाने होंगे:-

क्र. सं.	भवन	श्रमिकों की संख्या		
1	प्रशासनिक भवन, संविधान पार्क, किसान हॉस्टल	05		
2	कुलपति महोदय निवास	02		
3	अतिथिगृह	01		
4	क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, मण्डोर	02		
5	डेयरी एवं खाद्य प्रौद्यौगिकि महाविद्यालय, जोधपुर व प्रबंधन संकाय, जोधपुर	02		
6	किसान कौशल विकास केन्द्र	01		
	कुल सफाईकर्मी	13		
	सुपरवाईजर	01		

- उक्त सफाई व समस्त कार्य सुपरवाईजर की देख रेख में होगा एवं सम्पूर्ण सफाई कार्य की जिम्मेदारी सुपरवाईजर की होगी व कार्य से संबंधित कीसी भी प्रकार की शिकायत का निवारण सुपरवाईजर द्वारा तुरंत किया जावेगा।
- 6. सफाई हेतु ठेका स्वीकृत पश्चात एक बंधक पत्र रूपये 500/- के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर देना होगा कि जिसमें उपरोक्त समस्त सफाई की शर्तों की सहमति होगी।
- 7. मांग अनुसार व्यक्ति उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा भुगतान में से औसतन कटौती कर ली जायेगी। सफाई सही नहीं होने अथवा किसी दिन सफाई नहीं करने पर अनुपातिक प्रतिदिन देय राशि की दुगुनी राशि की कटौती प्रतिदिन के हिसाब से की जायेगी। जो कि टेकेदार को देनी होगी।
- 8. माह में एक बार/आवश्यकतानुसार उक्त भवनों के छतों की सफाई करनी होगी तथा फर्श को पानी से धोना होगा।
- 10. टेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य व्यक्ति ∕एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या सब लेट नहीं करेगा।
- 11. निविदादाता द्वारा निर्धारित समय पर अनुबन्ध निष्पादित नहीं करने अथवा प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी।
- 12. संविदा के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदादाता को मान्य होगा।
- 13. मांग अनुसार 50 प्रतिशत तक श्रमिकों की संख्या बढ़ाई एवं घटाई जा सकती है।
- 14. प्रत्येक माह की सन्तुष्ठ सेवायें प्रभारी द्वारा प्रमाणित होने के पश्चात् ही भुगतान देय होगा। सफाईकर्मी जिस इकाई हेतु आवंटित किया जाता है, उसके संबंधित प्रभारी प्रतिनिधि द्वारा कार्य सत्यापन एवं संतुष्टी का स्तर सुनिश्चित करने पर ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।
- 15. सफाईकिर्मियों का पूर्ण विवरण यथा नाम पिता का नाम, स्थायी पता एवं परिचय पत्र की फोटो प्रति सफाईकर्मी को तैनात करने के पूर्व विश्वविद्यालय में देनी होगी। कार्य पर होने की अविध में परिचय पत्र धारित करना होगा।
- 16. श्रम विभाग के आदेशानुसार श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश दिया जायेगा। ठेकेदार द्वारा किसी श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है तो उसके स्थान पर अन्य श्रमिक को उपलब्ध करवाना होगा। श्रम नियमों के उलंघन बाबत पूर्ण दायित्व निविदादाता का होगा।
- 19. सफाई व्यवस्था हेतु सामग्री विश्वविद्यलय द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

n

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा की अतिरिक्त शर्ते एवं निर्देश

विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न भवनों हेतु वार्षिक सफाई कार्य के संबंध में दिशा निर्देश एवं कार्य की शर्तें :-

- अनुबन्ध अवधि के दौरान सफाई कार्य के कारण एकत्रित होने वाले कचरे आदि को शामिल करके प्रतिदिन प्रशासन द्वारा नियत किये गये स्थानों (डम्पींग स्टेशन) पर डालना होगा एवं सप्ताह में एक बार समस्त कचरा उस स्थान से उठाकर नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये स्थान पर डालना होगा। जिससे वार्तावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिए। कचरा विश्वविद्यालय परिसर के बाहर डालने हेतु पंजिका का संधारित करनी होगी इसकी समस्त जिम्मेदारी सुपरवाईजर की होगी।
- 2. विश्विद्यालय भवनों के बरामदे, सीढ़ियो, सड़कों, में प्रशासन द्वारा निश्चित किये गये स्थानों पर कचरा पात्र तथा कुड़ादान संविदाकार को साफ करने होंगे।
- 3. अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्धित स्थानों की दिवारों पर पान की पीक, थूक, बलगम, जालो व अन्य गंदगी आदि को हटाने की ओर विशेष ध्यान देना होगा।
- 4. अनुबन्ध अविध में सफाई कार्य से संबंधित सेनेट्री आईटम/सिवरेज लाईन/हॉदीया इत्यादि जो उनके सफाई क्षेत्र में सिम्मिलित है के सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। सफाई कार्य करते समय किसी प्रकार के टूट-फूट की स्थिति में उनकी मरम्मत एवं बदलने का कार्य भी ठेकेदार द्वारा बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के किया जावेगा।
- 5. निर्धारित स्तर की सफाई का कार्य नहीं होने पर प्रशासनिक अधिकारी/ अधीक्षक/ इन्चार्ज/ प्रतिनिधि द्वारा ठेकेदार का उस स्थान की सफाई पुनः करने हेतु निर्देश दिये जायेंगे, और ठेकेदार द्वारा ऐसे निर्देश प्रदान किये जाने पर तुरन्त ही उक्त स्थान की सफाई का कार्य पूरा कर पालना प्रस्तुत करनी होगी। जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
- 6. निविदा के किसी भाग अथवा उसके उप भाग अथवा कोई भी कार्य हेतु कार्य आदेश दिया जा सकता है अथवा उस भाग को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता में निहित है।
- ठेकेदार को प्रतिमाह कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान बैंक खाते खुलवाकर सीधे बैंक खाते में राशि भुगतान करनी होगी। जिसकी सूची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- 8. स्वीकृत टेके के दौरान संविदाकार को विश्विद्यालय में कार्य करने वाले अपने सभी श्रमिकों को आवश्यक पहचान पत्र, बैज, एक सी यूनीफार्म उपलब्ध कराने होंगे। इस संबंध में संविदाकार को टेका प्रारम्भ होने से पूर्व सूचना देनी होगी। 'जिसके अनुसार श्रमिकों को जोधपुर परिसर में कार्य पर उपस्थित होने हेतु प्रवेश दिया जा सकेगा। सफाई कर्मी द्वारा डयूटी पर उपस्थित होने पर इन्चार्ज/अधीक्षक/प्रशासन/ प्रतिनिधि को सूचित करना होगा। 18 वर्ष से कम से आयु के नाबालिंग श्रमिकों को कार्य पर नहीं लगाया जा सकेगा।
- 9. अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्ध करते हुये यदि किसी श्रिमिक के साथ किसी प्रकार की कोई घटना/दुर्घटना होती है तो ऐसी दशा में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक दायित्व के लिये संविदाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 10. कोई भी सफाई कर्मी मादक द्रव्य/पदार्थ का सेवन नहीं करेगा, अभद्रता, र्वुव्यवहार, किसी प्रकार की इनामी राशि की मांग अपराध की श्रेणी में आयेगा, तथा शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को तुरन्त हटाना होगा अन्यथा ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- 11. इस कार्य अनुबन्ध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय हस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकार की डिक्री जारी की जाती है, तो उस राशि का वहन अनुबन्धकर्ता को करना होगा साथ ही यदि ठेकेदार के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में आनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें विश्वविद्यालय प्रश्रासन को भी पक्षकार बनाता है तो विश्वविद्यालय पर पड़ने वाला समस्त आर्थिक भार ठेकेदार से वसूला जायेगा।

- 12. राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर (यथा सेवा कर) आदि का भुगतान संविदाकार को करना होगा। इसके लिये अलग से कोई राशि देय नहीं होगी परन्तु संविदाकार को प्रत्येक माह के विपत्र के साथ गत माह के सेवाकर जमा करवाने का चालान/रसीद अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी अतः निविदादाता अपनी दरें देते समय इस बिन्दु का ध्यान रखें।
- 13. केन्द्र/राज्य सरकार से सम्बन्धित समस्त कानून/प्रावधानों की पालना ठेकेदार को करनी होगी जिसमें कर्मकार क्षितिपूर्ति एक्ट न्यूनतम मजदूरी भुगतान एक्ट, मजदूरी भुगतान एक्ट, इत्यादि समस्त श्रम कानून व नियम सम्मिलित होंगे। निविदाकर्ता किसी भी प्रकार से इस हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- 14. यदि ठेकेदार एवं उनके सफाई किर्मकों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई दायित्व नहीं होगा। नियोजित श्रिमकों को औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटानें, कार्यमुक्त करने नोटिस, वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
- 15. अनुबन्ध पर लगे श्रमिकों की ईएसआई/पीएफ की कटौती कर नियोक्ता के अंशदान की राशि सहित राशि संबंधित विभागों में जमा करवाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा एवं जमा करायी गयी राशि का चालान मय सम्पूर्ण विवरण (श्रमिकवार) प्रत्येक माह के विपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उस माह का विपत्र पारित किया जाना संभव नहीं होगा। श्रमिको से संबंधित ईएसआई/पीएफ नियमों की पूर्ण पालना का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।
- 16. विश्वविद्यालय द्वारा सफाईकर्मीयों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

Ch

निविदादाता के हस्ताक्षर

Section V C: Contract Forms संविदा का प्रारूप

Agreement (to be executed on a non judicial stamp of appropriate value)

Whereas the University invited Bids for certain Cleaning Services Supervisor and Weeper/Cleaner/Worker for Various Building in Agriculture University, Jodhpur and has accepted a Bid by the Supplier for the Supply of those services for the (in figures and words service charges (herein after "the Contract Price.")

NOW THE AGREEMENT WITNESS AS FOLLOWS in this agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract referred to –

- The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement, viz:
 - a. The AUJ's Notification of the Supplier of Award of Contract.
 - The Bid Submission Sheet and the Price Schedules including negotiated Price. If any, submitted by the Supplier.
 - c. The Special Conditions of Contract.
 - d. The General Conditions of Contract
 - e. The Schedule of Supply.
 - f. Instruction of Bidders.
 - g. The Notice Inviting Bids,
 - h. All the Annexures

In the event of any discrepancy of inconsistency within the Contract documents, the documents shall prevail in the order listed above.

- In consideration of the payments to be made by the AUJ to the Supplier as indicated in this Agreement the Supplier hereby covenants with the AUJ to provide the Goods and Related Services in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
- The AUJ hereby covenants to pay the Supplier in consideration of the provision of the Goods and Related Services, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at times and in the manner prescribed by the Contract.

IN WITNESS where of the parties hereto have caused this Agreement to be executed in accordance with the laws of the Central and the State Government on the day month and year first mentioned herein before.

Zu

Signed (for the Supplier)

Witness

1.

2.

Name: Designation Address: Signed (for AUJ)

Witness

1.

2.

Name: Designation

Address: